

इसे वेबसाइट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 जनवरी 2020—माघ 4, शक 1941

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं  
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश  
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की  
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं  
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,  
(3) संसद में पुरास्थापित विधेयक,  
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,  
(3) संसद के अधिनियम,  
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2020

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2020

#### शुद्धि-पत्र

फाईल क्र. 127-2020-इक्कीस-ब (एक).—सुश्री लघुता  
मरकाम पुत्री श्री जवाहर सिंह मरकाम को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा  
में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्ति  
संबंधी इस विभाग के आदेश क्रमांक 6878-2019-इक्कीस-ब (एक),  
दिनांक 18 दिसम्बर 2019 के द्वितीय पैरा अनुसार पुलिस वेरिफिकेशन  
में सुश्री लघुता मरकाम के विरुद्ध प्रतिकूल तथ्य नहीं पाया जाने  
के कारण आदेश में से द्वितीय पैरा समाप्त करता है। केवल प्रथम  
एवं तृतीय पैरा पढ़ा जावे।

फाईल क्र. 128-2020-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च  
न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की स्थापना पर प्रतिनियुक्ति पर  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश,  
खण्डपीठ, इन्दौर की हैसियत से उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी  
श्री अनिल कुमार सोहाने, सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
उज्जैन की सेवाएं, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से,  
अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, माननीय उच्च  
न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

फा. क्र. 145-इक्कीस-ब(एक) 2020.—राज्य शासन, श्री नितिन अग्रवाल, अधिवक्ता, जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5,000/- (रुपये पाँच हजार मात्र) प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर दिनांक 19 अक्टूबर 2019 से 18 अक्टूबर 2020 तक, एक वर्ष के लिये अथवा नवीन नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) नियुक्त करता है।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (0573) उच्च न्यायालय भारित (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

फा. क्र. 145-इक्कीस-ब(एक) 2020.—राज्य शासन, श्री संजय सेठ, अधिवक्ता, जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिए मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5,000/- (रुपये पाँच हजार मात्र) प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर दिनांक 19 अक्टूबर 2019 से 18 अक्टूबर 2020 तक, एक वर्ष के लिये अथवा नवीन नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) नियुक्त करता है।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (0573) उच्च न्यायालय भारित (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

फा. क्र. 145-इक्कीस-ब(एक) 2020.—राज्य शासन, श्री अंकित सक्सेना, अधिवक्ता, ग्वालियर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5,000/- (रुपये पाँच हजार मात्र) प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर दिनांक 20 अक्टूबर 2019 से 19 अक्टूबर 2020 तक, एक वर्ष के लिये अथवा नवीन नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) नियुक्त करता है।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (0573) उच्च न्यायालय भारित (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

फा. क्र. 145-इक्कीस-ब(एक) 2020.—राज्य शासन, श्री समीर सक्सेना, अधिवक्ता, इन्डैर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5,000/- (रुपये पाँच हजार मात्र) प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर दिनांक 20 अक्टूबर 2019 से 19 अक्टूबर 2020 तक, एक वर्ष के लिए अथवा नवीन नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) नियुक्त करता है।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (0573) उच्च न्यायालय भारित (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

फा. क्र. 123-2020-इक्कीस ब(एक).—राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार मंगलानी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सीहोर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रीनी जज), सीहोर का त्याग-पत्र एक माह पूर्व दिये गए उनके आवेदन दिनांक 19 दिसम्बर 2019 के आधार पर दिनांक 18 जनवरी 2020 को शासकीय अवकाश होने के कारण दिनांक 17 जनवरी 2020 को दोपहर पश्चात् से स्वीकृत करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2020

क्र. 01-इक्कीस-अ-वि.स.-2020.—राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 677-क-इक्कीस-अ (वि.स.) दिनांक 9 फरवरी, 2005 के अधीन पुनर्गठित मध्यप्रदेश शासन, हिन्दू विधायी समिति में विधान सभा के दो सदस्य—

1. श्री नीलांशु चतुर्वेदी, विधायक, चित्रकूट
2. श्री कुणाल चौधरी, विधायक, कालापीपल को सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2020

क्र. एफ-11-5 (10-1)-2006-उन्नीस-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 (ए) (सी) (डी) के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक के पद पर श्री श्रीमन शुक्ला, तत्कालीन संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, संचालनालय, भोपाल के स्थान पर श्री अविनाश लवानिया, संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल को संचालक मण्डल में संचालक मनोनीत करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उमाकांत पाण्डेय, उपसचिव।

**चिकित्सा शिक्षा विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2020**

क्र. एफ-2-25-2019-1-पचपन.—राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश, राज्य दन्त परिषद्, इन्दौर में डेन्टिस्ट एक्ट, 1948 की धारा 21(ई) के अन्तर्गत निम्नानुसार सदस्य मनोनीत करता है:—

1. उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
2. डॉ. रत्नेश बग्गा, सीनियर डेंटल सर्जन, जिला-चिकित्सालय, छिन्दवाड़ा.
3. डॉ. विप्लव जोशी, बी.डी.एस., पुलिस चिकित्सालय, भोपाल.
  
2. डेन्टिस्ट एक्ट, 1948 की धारा 27 (1) के प्रावधान अन्तर्गत उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा राज्य शासन के प्रसाद तक जो भी पहले हो, निर्धारित रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**शर्मिला ठाकुर, अवर सचिव.**

**पर्यटन विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2020**

क्र. एफ-10-02-2018-तैंतीस.—राज्य शासन, एतद्वारा, साधिकार समिति-पर्यटन नीति (2016) संशोधित 2019 के संबंध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 4 दिसम्बर 2019 के एजेण्डा क्रमांक 03 में संशोधन एवं स्पष्टीकरण निम्नानुसार किया जाता है:—

एजेण्डा क्र. 3—वेस्ले ग्रुप (LLC) USA द्वारा पर्यटन विभाग के अधिपत्य की नीनोद, जिला रायसेन की भूमियों का अल्ट्रा मेगा पर्यटन परियोजना की स्थापना हेतु भूमि आवंटन आवेदन.

समिति, वेस्ले ग्रुप अमेरिका के प्रस्ताव नीनोद स्थित पर्यटन विभाग को भूमि पर गोल्फ कोर्स-सह-होटल/रिसोर्ट/कन्वेशन सेंटर

एवं अन्य पर्यटन गतिविधियों की स्थापना का सैद्धांतिक अनुमोदन करती है।

समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि जिन स्थानों, टापू इत्यादि के कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर निर्धारित नहीं हैं उन स्थानों के भूमियों का विभाग द्वारा प्रचलित नीति की कंडिका 9.4 (नगरीय निकायों एवं प्लान एरिया में भूमि का आरक्षित मूल्य रूपये 10 लाख प्रति हेक्टेयर एवं उपरोक्त के अलावा अन्य क्षेत्रों में रूपये 5 लाख प्रति हेक्टेयर) के अनुसार प्रति हेक्टेयर से निवेश हेतु निवेशकों के लिए भूमि उपलब्ध कराने पर विचार किया जाए, निवेशक द्वारा रूपये 100 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त होने पर न्यूनतम एक माह समयावधि की विज्ञप्ति प्रकाशित की जाए। उक्त भूमि के लिए अन्य निवेशकों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने पर अल्ट्रा मेगा परियोजना का प्रस्ताव साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**पदमरेखा ढोले, अवर सचिव.**

**महिला एवं बाल विकास विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2020**

क्र. 136-261-2017-पचास-2 (ए.ए.न.).—विभागीय पत्र क्रमांक 1261-261-2017-पचास-2, दिनांक 30 मई 2017 के द्वारा जारी अधिसूचना के क्रमांक 4, 5, 6 एवं 7 पर उल्लेखित नामों को अधिक्रमित करते हुए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 87 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के सदस्यों के चयन हेतु राज्यस्तरीय चयन समिति में निम्नानुसार सदस्यों का नामांकन करती है:—

| स. क्र. | नाम  | पद    |
|---------|--|-------|
| (1)     | (2)  | (3)   |
| 1       | श्री विपिन खुजनेरी, इन्दौर   | सदस्य |
| 2       | श्री मनीष राजपूत, भिण्ड  | सदस्य |
| 3       | श्री दीपक कुमार वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी महू, जिला इन्दौर. | सदस्य |
| 4       | श्री राजीव कुमार मिश्रा, डिप्टी रजिस्ट्रॉर, जीवाजी विद्यालय, ग्वालियर.                 | सदस्य |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**पी. के ठाकुर, उपसचिव.**

## विभाग प्रमुखों के आदेश

**मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, विंध्याचल भवन, भोपाल**

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2019

**“शीत कालीन अवकाश बावत् अधिसूचना”**

**क्र. सह.अधि.-स्था.-2019-1897.**—मान. मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा वर्ष 2019 में दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2019 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है।

2. अतः उक्त अनुक्रम में एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम, 2000 के विनियम 24 के प्रावधानों के अनुसार अधिकरण के अध्यक्ष को शीतकालीन अवकाश दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2019 तक में “सात” दिन का लाभ उठाने की पात्रता है।
3. तदनुसार इस अधिकरण के मान. अध्यक्ष दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2019 तक (छ: दिवस) शीतकालीन अवकाश पर रहेंगे, जिसके फलस्वरूप अधिकरण में उक्त अवधि में शीतकालीन अवकाश रहेगा।
4. तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत् जारी रहेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार,  
विमल कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला-खण्डवा, मध्यप्रदेश

भाग 3

— विविध —

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

खण्डवा, दिनांक 2 जनवरी 2020

**क्र. क-न्या.लि.-बंधक-2019-19-30.**—बंधक श्रमिक तथा समाप्ति अधिनियम, 1976 की धारा 13(2) एवं 13(3) के प्रावधानों के अनुसार जिला-खण्डवा में जिला स्तरीय सतर्कता समिति एवं उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियों का पुनर्गठन वर्ष 2019 में नामित तिथि से दो वर्ष के लिये निम्नानुसार किया जाता है:—

### जिला स्तरीय सतर्कता समिति धारा 13(2), जिला खण्डवा

- |  |   |
|--|---|
| <p>(अ) एक सभापति</p> <p>(ब) तीन अशासकीय सदस्य अनु. जाति/ अनु.ज.जा. जो खण्डवा जिले के निवासी हैं (एक महिला सदस्य).</p> <p>(स) दो सामाजिक कार्यकर्ता जो खण्डवा जिले के निवासी हैं।</p> <p>(द) तीन शासकीय सदस्य</p> | <p>— जिला दण्डाधिकारी, जिला खण्डवा</p> <p>01. श्री रूपसिंह पिता मुकुटसिंह दरबार (अ.ज.जा.)<br/>ग्राम माथनी बुर्जुंग, तह. जिला खण्डवा</p> <p>02. श्री प्रेमलाल पिता मोजीलाल गोयल (अ.जा.)<br/>संत रैदास वार्ड, गुरुद्वारा के पीछे, खण्डवा</p> <p>03. श्रीमती सावित्री बाई पति बिसेन इन्दौर<br/>ग्राम सैयदपुर, ब्लॉक छेगांवमाखन, जिला खण्डवा</p> <p>01. श्री आशीष पिता दशरथ पटेल, ब्लॉक 26, चौराखदान मल्टी रामपुरा, जिला खण्डवा.</p> <p>02. श्री मनोज पिता नारायणदास वर्मा, क्रिश ज्वेलर्स सराफा बाजार, खण्डवा.</p> <p>01. पुलिस अधीक्षक, खण्डवा</p> <p>02. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खण्डवा</p> <p>03. सहायक आयुक्त/जिला संघोजक, आदिम जाति कल्याण, खण्डवा।</p> |
|--|---|

(इ) एक वित्तीय संस्था प्रतिनिधि

— 01. अग्रणी जिला प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, आनंद नगर, खण्डवा.

**उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति धारा 13(3) उप खण्ड, खण्डवा**

(अ) एक सभापति

— श्री इंदु पंवार—9406664900  
इन्दौर नाके के पास इन्दौर रोड खण्डवा

(ब) तीन अशासकीय सदस्य अनु. जाति/अनु.ज.जा. जो अनुविभाग के निवासी हैं (एक महिला सदस्य).

01. श्री सदाशिव भवरिया—9131498877 एस साई नगर, माता चौक-खण्डवा.  
02. श्री रामप्रसाद चौधरी—9827665388 पड़ावा, इन्दौर रोड खण्डवा.

(स) दो सामाजिक कार्यकर्ता जो अनुविभाग के निवासी हैं।

03. श्री मोहन ढाकसे—7999493194 ग्राम रोशनाई, जिला खण्डवा.  
01. श्री रियाज हुसैन—8770108129 गुलशन नगर, खण्डवा.  
02. श्री देवेन्द्र थोटे—9977354818, भवानी माता रोड, खण्डवा.

(द) तीन शासकीय अथवा अशासकीय संस्थाओं का काम करने वाले व्यक्ति, जो ग्रामीण विकास से संबंधित हैं।

01. श्री कैलाश हरि पटेल, ग्राम नाहल्दा, तह. खण्डवा  
02. श्री बलराम वर्मा, नाकोड़ा नगर, खण्डवा  
03. श्री भाईराम छगन, ग्राम जसवाड़ी, जिला खण्डवा

(इ) एक सदस्य जो अनुविभाग के अन्तर्गत वित्तीय साख संस्था का प्रतिनिधित्व करता है।

श्री माणिकराव आव्हाड, दुबे कॉलोनी खण्डवा

**उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति धारा 13 (3) उपखण्ड, नया हरसूद (छनेरा)**

(अ) एक सभापति

— अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व), हरसूद

(ब) तीन अशासकीय सदस्य अनु. जाति/अनु.ज.जा. जो अनुविभाग के निवासी हैं (एक महिला सदस्य).

01. श्री नारायण पिता भवानीराम मांडले (अजा), नि. ग्राम देवलदी, तह. हरसूद.  
02. श्री सुखराम पिता सखाराम साल्वे (अजजा) नि. ग्राम ढाकना तह. खालवा.  
03. सुश्री अनिता पिता बालराम सिलाले अजज नि. उदियापुर तह. खालवा.

(स) दो सामाजिक कार्यकर्ता जो अनुविभाग के निवासी हैं।

01. श्री सुरजी पिता मोतीसिंह मिनहास, नि. खालवा, तह. खालवा  
02. श्री कमलकांत पिता गौरीशंकर भारद्वाज, निवासी छनेरा, तह. हरसूद.

(द) तीन शासकीय अथवा अशासकीय संस्थाओं का काम करने वाले व्यक्ति, जो ग्रामीण विकास से संबंधित हैं।

01. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), हरसूद  
02. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज.प. खालवा  
03. तहसीलदार हरसूद

(इ) एक सदस्य जो अनुविभाग के अन्तर्गत वित्तीय साख संस्था का प्रतिनिधित्व करता है।

प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा, खालवा

**उपखण्डीय सतर्कता समिति धारा 13 (3) उपखण्ड, पंधाना**

(अ) एक सभापति

— अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) पंधाना

(ब) तीन अशासकीय सदस्य अनु. जाति/अनु.ज.जा. जो अनुविभाग के निवासी हैं (एक महिला सदस्य).

01. श्री प्रकाश पिता ताराचंद एकले (अजा) वार्ड क्रमांक 8 पंधाना, जिला खण्डवा.  
02. श्री विपिन पिता पप्पु बोरसे, (अजा) वार्ड क्रमांक 1 पंधाना जिला खण्डवा.  
03. श्रीमती सुनीता पति भीकारीराम (अजा) वार्ड क्रमांक 15 पंधाना, जिला खण्डवा.

- (स) दो सामाजिक कार्यकर्ता जो अनुविभाग के निवासी हैं। — 01. श्री पलाश पिता लोकेन्द्र जैन, वार्ड क्रमांक 10 पंथाना, जिला खण्डवा.  
02. श्री सुबोध पिता मधुसूदन शर्मा, वार्ड क्रमांक 06 पंथाना, जिला खण्डवा.
- (द) तीन शासकीय अथवा अशासकीय संस्थाओं का काम करने वाले व्यक्ति, जो ग्रामीण विकास से संबंधित हैं। — 01. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) पंथाना  
02. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज.प. पंथाना  
03. तहसीलदार पंथाना.
- (इ) एक सदस्य जो अनुविभाग के अन्तर्गत वित्तीय साख संस्था का प्रतिनिधित्व करता है। — प्रबंधक, सहकारी संस्था पंथाना, जिला खण्डवा

### उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति धारा 13 (3) उपखण्ड, पुनासा

- (अ) एक सभापति — अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) पुनासा
- (ब) तीन अशासकीय सदस्य अनु. जाति/ अनु.ज.जा. जो अनुविभाग के निवासी हैं (एक महिला सदस्य). — 01. श्री जव्हारीलाल पिता मनोहर, ग्राम केलवाबुजुर्ग, जिला खण्डवा  
02. श्री सुखराम निबोले, निवासी मुंदी.  
03. श्रीमती रजनी पति राजेश जायसवाल, पुनासा, जिला खण्डवा
- (स) दो सामाजिक कार्यकर्ता जो अनुविभाग के निवासी हैं। — 01. श्री दिपक वर्मा, तह., पुनासा, जिला खण्डवा  
02. श्री राजेन्द्र पिता ओंकारलाल ढेपड़ा, तह. पुनासा, जिला खण्डवा  
तहसीलदार, पुनासा  
अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पुनासा  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पुनासा  
शाखा प्रबंधक, एस.बी.आई. शाखा, पुनासा.
- (द) तीन शासकीय अथवा अशासकीय संस्थाओं का काम करने वाले व्यक्ति, जो ग्रामीण विकास से संबंधित हैं। —
- (इ) एक सदस्य जो अनुविभाग के अन्तर्गत वित्तीय साख संस्था का प्रतिनिधित्व करता है। —

तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर.

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश

रीवा, दिनांक 6 जनवरी 2020

क्र. 319-व.लि.2-2020.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एस 3-2-99-1-4, दिनांक 30 मार्च 2009 द्वारा जिले के भीतर तीन स्थानीय अवकाशों की घोषणा करने के लिए अधिकृत करने के फलस्वरूप सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक - 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बसंत कुरें, कलेक्टर, रीवा निम्नलिखित दिनांक/दिन/त्यौहार के लिये वर्ष 2020 के लिए रीवा में स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

| क्रमांक<br>(1) | दिनांक<br>(2)  | दिन<br>(3) | त्यौहार अवकाश का नाम<br>(4) |
|----------------|----------------|------------|-----------------------------|
| 1              | 11 मार्च 2020  | बुधवार     | होली का दूसरा दिन           |
| 2              | 04 अगस्त 2020  | मंगलवार    | रक्षाबंधन का दूसरा दिन      |
| 3              | 16 नवम्बर 2020 | सोमवार     | दीपावली का दूसरा दिन        |

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय/उपकोषालय तथा बैंकों में लागू नहीं होंगे।

बसंत कुरें, कलेक्टर.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश**  
**झाबुआ, दिनांक 7 जनवरी 2020**

क्र. 208-व. लि.1-2020.—सामान्य पुस्तक के परिपत्र 02 के अनुक्रमांक 04 के नियम 08 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना एफ 3-2-1999-1, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, प्रबल सिपाहा, कलेक्टर, जिला-झाबुआ वर्ष 2020 के लिए संपूर्ण जिला झाबुआ की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नांकित तिथियों को निम्नानुसार तीन स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँः—

| क्र.<br>(1) | जिला<br>(2)        | पर्व अथवा त्यौहार<br>(3) | दिनांक<br>(4) | दिन<br>(5) | संपूर्ण विवरण<br>(6) |
|-------------|--------------------|--------------------------|---------------|------------|----------------------|
| 1           | झाबुआ संपूर्ण जिला | मकर संक्रान्ति           | 15-1-2020     | बुधवार     | सम्पूर्ण जिला        |
| 2           |                    | शीतला सप्तमी             | 16-3-2020     | सोमवार     | "                    |
| 3           |                    | गणेश चतुर्थी             | 22-8-2020     | शनिवार     | "                    |

(1) टीप.—यह स्थानीय अवकाश कोषालय/उप-कोषालय तथा बैंकों के लिये प्रभावशील नहीं रहेगा।

(2) जिन शैक्षणिक संस्थाओं की इन दिनांकों में परीक्षाएँ नियत हैं। इन पर भी यह अवकाश प्रभावशील नहीं रहेगा। परीक्षाएँ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथावत् रहेंगी।

प्रबल सिपाहा, कलेक्टर।

**कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल**

राजभवन, भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2020

क्र. एफ-1-7-19-रा.स.-यू.ए.1-59—नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्र. 16 सन् 2009) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपतिजी, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति गठित की गई है :—

- |    |  |                  |  |
|----|--|------------------|--|
| 1. | श्री ओ. पी. रावत,<br>(पूर्व मुख्य निर्बाचन आयुक्त),<br>भोपाल (म. प्र.).                                      | समिति के अध्यक्ष | कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित                    |
| 2. | श्री मनोज श्रीवास्तव,<br>अपर मुख्य सचिव,<br>मध्यप्रदेश शासन,<br>पशुपालन विभाग,<br>मंत्रालय, भोपाल (म. प्र.). | समिति के सदस्य   | राज्य सरकार, पशुपालन विभाग<br>द्वारा नामांकित। |
| 3. | डॉ. नारायण पुरुषोत्तम दक्षिणकर,<br>कुलपति,<br>छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय,<br>अंजोरा, दुर्ग (छत्तीसगढ़). | समिति के सदस्य   | विश्वविद्यालय के बोर्ड द्वारा नामांकित         |

(2) कुलाधिपतिजी के द्वारा श्री ओ. पी. रावत, पूर्व मुख्य निर्बाचन आयुक्त को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

(3) समिति इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी।

कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,  
अभय वर्मा, राज्यपाल के अपर सचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

राजगढ़, दिनांक 6 जनवरी 2020

कमांक / ..... 728 ..... / भू-अर्जन / 2019 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उसके संलग्न अनुसूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक..... / अ-82 / 2018-19 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में ब्यावरा-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना में प्रभावित भूमि तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की योजनान्तर्गत ग्राम पीपलहेला के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है अतः भूमि-अर्जन पुर्ववास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक्रिया और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा-19 अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

**अनुसूची-(1)**

**ब्यावरा से भोपाल रेल लाईन निर्माण में तहसील ब्यावरा की प्रभावित भूमि**

| क्र. | विवरण                         | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हें.में. | प्रयोजन  |
|------|-------------------------------|---|--|
| 1    | 2                             | 3   | 4  |
| 1    | ग्राम पीपलहेला<br>(निजी भूमि) | 17.618                                    | ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक<br>नई बड़ी रेल लाईन परियोजना निर्माण |

**अनुसूची (2)**

रामगंज मंडी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना” के अंतर्गत ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना निर्माण में प्रभावित तहसील ब्यावरा की निजी भूमि का विवरण

| क्र. | सर्वे नं. | भूमि स्वामित्व धारी का नाम                               | कुल रकबा | प्रभावित भूमि |
|------|-----------|--|----------|---------------|
| 1    | 2         | 3  | 4        | 5             |
| 1    | 100/1     | जगन्नाथ पिता देव्या जाति धाकड़ ग्रा नि<br>भूस्वामी       | 0.569    | 0.060         |
| 2    | 100/2     | भगीरथ पिता रामलाल जाति धाकड़ ग्रा नि<br>भूस्वामी         | 0.285    | 0.250         |
| 3    | 100/3     | कमल सिंह पिता प्रेमनारायण जाति धाकड़<br>ग्रा नि भूस्वामी | 0.284    | 0.240         |
| 4    | 105/2     | केशर सिंह पिता गिरधारी जाति धाकड़ ग्रा नि<br>भूस्वामी    | 2.188    | 0.269         |
| 5    | 101/3     | कमल सिंह पिता प्रेमनारायण जाति धाकड़ ग्रा<br>नि भूस्वामी | 0.107    | 0.107         |
| 6    | 101/2     | भगीरथ पिता रामलाल जाति धाकड़ ग्रा नि<br>भूस्वामी         | 0.108    | 0.013         |
| 7    | 102/6     | जगन्नाथ पिता देव्या जाति धाकड़ ग्रा नि<br>भूस्वामी       | 0.354    | 0.009         |
| 8    | 102/3     | भगीरथ पिता रामलाल जाति धाकड़ ग्रा नि<br>भूस्वामी         | 0.222    | 0.180         |
| 9    | 104/1     | भगीरथ पिता रामलाल जाति धाकड़ ग्रा नि<br>भूस्वामी         | 0.184    | 0.041         |

| क्र. | सर्वे नं. | भूमि स्वामित्व धारी का नाम  | कुल रकबा | प्रभावित भूमि |
|------|-----------|---|----------|---------------|
| 1    | 2         | 3   | 4        | 5             |
| 10   | 104/3     | प्रेमनारायण पिता रामलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी   | 0.184    | 0.141         |
| 11   | 103/1     | भगीरथ पिता रामलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी   | 0.071    | 0.060         |
| 12   | 103/2     | कमल सिंह पिता प्रेमनारायण जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी   | 0.101    | 0.096         |
| 13   | 103/3     | घीसालाल सुरेश सुनीता पिता भागचंद देवबाई बेवा भागचंद जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी                                 | 0.101    | 0.063         |
| 14   | 103/4     | जगन्नाथ पिता देव्या जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी   | 0.102    | 0.102         |
| 15   | 103/5     | रमलाल पिता देव्या प्रेमसिंघ पिता बलदेव घीसालाल सुरेश पिता भागचंद देवबाई पिता भागचंद जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी | 0.025    | 0.025         |
| 16   | 129/1/2   | प्रभु लाल पिता हजारीलाल गलाबबाई बेवा हजारीलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी                                       | 0.783    | 0.246         |
| 17   | 129/1/1   | रामभरोरो पिता हजारीलाल गुलाबबाई बेवा हजारीलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी                                       | 0.784    | 0.438         |
| 18   | 127       | भगवतीबाई पत्नी बद्रीलाल चंद्रशेखर पिता बद्रीलाल नाथू पिता घीसालाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी                   | 1.212    | 0.493         |
| 19   | 128/1     | घीसा पिता औंकार जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी   | 0.195    | 0.112         |
| 20   | 125/1     | लक्ष्मीचंद पिता खेमचंद जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी  | 0.447    | 0.115         |
| 21   | 125/2     | पंकज पिता बद्रीलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी  | 0.447    | 0.363         |
| 22   | 125/3     | बालकिशन पिता लक्ष्मण जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी  | 0.112    | 0.095         |
| 23   | 125/4     | गलाब चन्द पिता लक्ष्मण जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी  | 0.112    | 0.075         |
| 24   | 125/5     | रामनारायण पिता लक्ष्मण जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी  | 0.112    | 0.062         |
| 25   | 125/6     | दौलतराम पिता लक्ष्मण जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी  | 0.111    | 0.038         |
| 26   | 124/1     | मांगीलाल पिता मनीराम जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी  | 0.173    | 0.025         |
| 27   | 148/1/2   | शंकरलाल पिता भगीरथ जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी  | 0.151    | 0.005         |

| क्र. | सर्वे नं. | भूमि स्वामित्व धारी का नाम  | कुल रकबा | प्रभावित भूमि |
|------|-----------|---|----------|---------------|
| 1    | 2         | 3   | 4        | 5             |
| 28   | 148/1/3   | शंकरलाल पिता भगीरथ जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी                          | 0.171    | 0.035         |
| 29   | 148/1/4   | हीरालाल पिता भगीरथ जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी                          | 0.171    | 0.106         |
| 30   | 122/1/1   | हीरालाल पिता भगीरथ जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी                          | 0.139    | 0.047         |
| 31   | 122/1/2   | शंकरलाल पिता भगीरथ जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी                          | 0.139    | 0.018         |
| 32   | 122/2     | देवीलाल रणचरण पिता गणपति कृष्णबाई पिता गणपत जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी | 0.278    | 0.001         |
| 33   | 149/1     | रामचंद्र पिता श्रीलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी                       | 0.392    | 0.184         |
| 34   | 149/2/1   | पूनमचंद्र पिता जयसिंह जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी                       | 0.323    | 0.240         |
| 35   | 149/2/2   | कैलाशनारायण पिता जयसिंह जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी                     | 0.322    | 0.182         |
| 36   | 150/1/3   | राधेश्याम पिता ईश्वर जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी                        | 0.357    | 0.031         |
| 37   | 150/2     | पुरुषोत्तम धीसीबाई पिता जसा जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी                 | 0.537    | 0.158         |
| 38   | 150/3     | लक्ष्मी नारायण कंचनबाई पिता जसा जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी             | 0.537    | 0.356         |
| 39   | 151/1     | बालकिशन पिता लक्ष्मण जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी                        | 0.203    | 0.040         |
| 40   | 151/2     | कमलचंद्र पिता खेमचंद्र जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी                      | 0.298    | 0.040         |
| 41   | 151/3     | रामनारायण पिता लक्ष्मण जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी                      | 0.169    | 0.169         |
| 42   | 151/4     | जगदीश पिता बद्रीलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी                         | 0.595    | 0.188         |
| 43   | 152/2     | दौलतराम पिता लक्ष्मण जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी                        | 0.105    | 0.030         |
| 44   | 808/5     | रामनारायण पिता लक्ष्मण जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी                      | 0.285    | 0.249         |
| 45   | 806       | गिरधारी पिता छिता जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी                           | 0.253    | 0.019         |
| 46   | 805/2     | मथरालाल पिता शिवलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी                         | 0.250    | 0.116         |
| 47   | 805/3     | जागेश्वर पिता बद्रीलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी                      | 0.670    | 0.213         |
| 48   | 803/1     | मथरालाल पिता शिवलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी                         | 0.420    | 0.229         |

| क्र. | सर्वे नं. | भूमि स्वामित्व धारी का नाम   | कुल रकबा | प्रभावित भूमि |
|------|-----------|--|----------|---------------|
| 1    | 2         | 3  | 4        | 5             |
| 49   | 803/2     | महेश पिता रामचंद्र जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी   | 0.645    | 0.341         |
| 50   | 800/1/1   | बलराम पिता हजारीलाल रामस्वरूप पिता प्रेम नारायण लीलाबाई बेवा प्रेमनारायण जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी | 0.452    | 0.226         |
| 51   | 804/1     | जागेश्वर पिता बद्रीलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी   | 0.300    | 0.270         |
| 52   | 804/2     | रमेश पिता मथरालाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी  | 0.257    | 0.017         |
| 53   | 797/1/1   | मोहनलाल आ लक्ष्मी चन्द धापूबाई बेवा लक्ष्मीचंद जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी                           | 0.038    | 0.038         |
| 54   | 797/1/2   | मनिष पिता बालकिशन जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी  | 0.038    | 0.038         |
| 55   | 797/1/3   | रंगलाल पिता बलराम जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी  | 0.038    | 0.038         |
| 56   | 797/2     | रामचंद्र रामकरण पिता मनीराम उमराबाई बेवा मनीराम जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी                          | 0.114    | 0.070         |
| 57   | 798/3/2/2 | राधेशयाम पिता प्रभुलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी   | 0.227    | 0.014         |
| 58   | 798/4/2   | फलसिंह पिता नंदराम जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी   | 0.153    | 0.033         |
| 59   | 798/4/3   | दुलीचंद पिता नंदराम जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी  | 0.153    | 0.016         |
| 60   | 798/5/1/1 | बद्रीलाल पिता अमरसिंह जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी  | 0.080    | 0.060         |
| 61   | 798/5/2   | गिरधारी पिता पुन्य जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी   | 0.240    | 0.071         |
| 62   | 798/5/3/1 | मोहनलाल पिता लक्ष्मीचंद धापूबाई बेवा लक्ष्मीचंद जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी                          | 0.184    | 0.120         |
| 63   | 795       | रुखमाबाई बेवा अमर सिंह जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी   | 0.151    | 0.077         |
| 64   | 796/1     | मनीष पिता बालकिशन जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी  | 0.139    | 0.124         |
| 65   | 796/2     | रामचंद्र रामकरण पिता मनीराम उमराबाई बेवा मनीराम जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी                          | 0.164    | 0.100         |
| 66   | 794       | सुरेन्द्र कमार आ फूलसिंह जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी   | 1.189    | 0.491         |
| 67   | 793       | फूल सिंह पिता मनीराम जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी   | 0.378    | 0.209         |
| 68   | 792/1/2   | जय सिंह पिता अमरसिंह जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी   | 0.126    | 0.002         |

| क्र. | सर्वे नं. | भूमि स्वामित्व धारी का नाम   | कुल रकबा | प्रभावित भूमि |
|------|-----------|--|----------|---------------|
| 1    | 2         | 3  | 4        | 5             |
| 69   | 792/1/3   | बद्रीलाल पिता अमरसिंह जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी  | 0.126    | 0.031         |
| 70   | 792/1/4   | रामनारायण पिता अमरसिंह जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी   | 0.126    | 0.083         |
| 71   | 889/2     | कवरलाल पिता शंकरलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी  | 0.398    | 0.006         |
| 72   | 1050      | राम बगस दौलतराम कवरलाल लक्ष्मण पिता देवचंद हि २५ पैसा पे रामनारायण मोती पिता गंगाधर मु भूली बेवा गंगाधर हि २५ पैसा पे भगीरथ बौपूलाल बद्रीलाल रामलाल राम प्रसाद पिता जगन्नाथ हि ०८ पैसा गोपीलाल हरिराम पिता हजारी हि १७ पैसा पन्नलाल पिता शिवलाल श्रीराम बगमल पिता चिमना हि २५ पैसा | 0.708    | 0.001         |
| 73   | 1038/1    | लीलावती पति शिवनारायण जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी  | 0.323    | 0.050         |
| 74   | 1039/1    | चम्पा बाई बेवा देवीराम जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी   | 0.203    | 0.193         |
| 75   | 803/3     | जोगेश्वर पिता बद्रीलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी   | 0.399    | 0.025         |
| 76   | 1039/2    | टिनेश पिता अनोख सिंह कमलबाई बेवा अनोखसिंह कन्हैया रमेश पिता गंगाधर मणिबाई बेवा गंगाधर ही ५० पैसा बक्स पिता पुना ही ५० पैसा जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी   | 0.202    | 0.195         |
| 77   | 1039/3    | लक्ष्मी चन्द बने सिंह फलसिंह पिता काशीराम पराबाई जशोदाबाई सुमित्राबाई पत्री काशीराम विकाश पत्र राम सिंह मांगीबाई बेवा रामसिंह जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी  | 0.202    | 0.139         |
| 78   | 1041      | रंगलाल पिता पन्नलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी  | 0.253    | 0.052         |
| 79   | 1040/1    | मानसिंह पिता जगन्नाथ जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी   | 0.228    | 0.223         |
| 80   | 1040/2/2  | कन्हैया लाल पिता गोरेलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी   | 0.107    | 0.107         |
| 81   | 1040/2/1  | प्रेम सिंह पिता लक्ष्मण जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी  | 0.108    | 0.099         |
| 82   | 1040/3    | रामचंद्र रामकरण पिता मनीराम उमराबाई बेवा मनीराम जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी  | 0.215    | 0.070         |
| 83   | 1040/4/1  | मोहन पिता लक्ष्मीचंद धापूबाई बेवा लक्ष्मीचंद   | 0.072    | 0.001         |

| क्र. | सर्वे नं. | भूमि स्वामित्व धारी का नाम   | कुल रकबा | प्रभावित भूमि |
|------|-----------|--|----------|---------------|
| 1    | 2         | 3  | 4        | 5             |
| 84   | 1032/1/1  | हीरालाल पिता हरिराम जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी  | 0.095    | 0.073         |
| 85   | 1032/1/2  | दरियाव सिंह पिता शंकरलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी   | 0.095    | 0.060         |
| 86   | 1032/1/3  | रामचंद्र पिता शंकरलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी  | 0.189    | 0.049         |
| 87   | 1032/2    | प्रेम सिंह पिता मनीराम जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी   | 0.189    | 0.159         |
| 88   | 1031/3    | भावरीबाई बेवा हरिराम केशर सिंह हीरालाल पिता हरिराम जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी   | 0.190    | 0.001         |
| 89   | 1033      | खेमचंद पिता मदनलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी   | 1.151    | 0.047         |
| 90   | 1028/1/1  | रामनारायण पिता गंगाधर जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी  | 0.114    | 0.114         |
| 91   | 1028/1/2  | मोतीलाल पिता गंगाधर जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी  | 0.040    | 0.040         |
| 92   | 1028/2    | बालकिशन पिता लक्ष्मण जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी   | 0.155    | 0.036         |
| 93   | 1029/2    | बालकिशन पिता लक्ष्मण जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी   | 0.073    | 0.043         |
| 94   | 1028/3    | मांगीलाल परालाल होकम सिंह उमरावसिंह गोरथन काशीबाई डालबाई कमला बाई पिता   | 0.155    | 0.063         |
| 95   | 1029/3    | रामबगस गोबिंद जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी  | 0.073    | 0.073         |
| 96   | 1028/4    | सिद्धनाथ शंकरलाल म लीलाबाई बेवा कैलाशा नारायण प्रियंका हिमांशी पिता कैलाश नारायण मृदुल पुत्र कैलाश नारायण भगवत सिंह पिता | 0.154    | 0.007         |
| 97   | 1029/4    | कवरलाल म भवरीबाई बेवा कवरलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी   | 0.074    | 0.074         |
| 98   | 1029/5    | धरीलाल पिता दौलतराम जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी  | 0.073    | 0.063         |
| 99   | 1030/1    | रंगलाल पिता पन्नालाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी   | 0.104    | 0.013         |
| 100  | 1030/2    | राम सिंह पिता पन्नालाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी   | 0.035    | 0.029         |
| 101  | 1030/3    | रामचंद्र पिता शिवलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी   | 0.130    | 0.090         |
| 102  | 1030/4    | बापू पिता माधुलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी  | 0.139    | 0.120         |
| 103  | 1030/5    | देवीलाल पिता भागमल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी   | 0.139    | 0.139         |
| 104  | 1199/1    | बालकिशन पिता अमरसिंह जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी   | 0.126    | 0.034         |

| क्र. | सर्वे नं.  | भूमि स्वामित्व धारी का नाम   | कुल रकबा | प्रभावित भूमि |
|------|------------|--|----------|---------------|
| 1    | 2          | 3  | 4        | 5             |
| 105  | 1199/2     | कन्हैयालाल पिता अमरसिंह जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी                                  | 0.608    | 0.009         |
| 106  | 1198/1     | देवी सिंह पिता गंगाधर जाति चमार ग्रा नि भूस्वामी                                     | 0.152    | 0.148         |
| 107  | 1101/1     |  | 0.233    | 0.228         |
| 108  | 1100/1/3   |  | 0.030    | 0.015         |
| 109  | 1100/1/5   |  | 0.110    | 0.029         |
| 110  | 1102/1     | शांतिबाई दरियोबाई राजबाई पुत्रिया बलदेव गीताबाई बेवा बलदेव जाति राव ग्रा नि भूस्वामी | 0.294    | 0.033         |
| 111  | 1102/4     |  | 0.367    | 0.340         |
| 112  | 1103/1     |  | 0.253    | 0.149         |
| 113  | 1100/1/2   |  | 0.012    | 0.012         |
| 114  | 1100/1/1   | ओम प्रकाश बबलू माधु त्रिलोक जीतेन्द्र विष्णु   | 0.376    | 0.376         |
| 115  | 1100/1/4   | पिता अमर सिंह पैष्पा बाई बेवा अमर सिंह   | 0.130    | 0.105         |
| 116  | 1102/2     | जाति राव ग्रा नि भूस्वामी  | 0.293    | 0.025         |
| 117  | 1102/3     |  | 0.020    | 0.020         |
| 118  | 1105/4     | कमलाबाई पति कवरलाल जाती धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी                                       | 0.113    | 0.013         |
| 119  | 1103/2/1   | गीता बाई पति गंगाधर जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी                                      | 0.253    | 0.062         |
| 120  | 1103/2/3   |  | 0.102    | 0.002         |
| 121  | 1181/2     | सनील पिता चुन्नीलाल जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी                                      | 1.175    | 0.542         |
| 122  | 1181/1     | मथरालाल पिता गिरधारी जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी                                     | 1.175    | 0.176         |
| 123  | 1183       | शिव सोरमबाई पिता मनीराम जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी                                  | 1.303    | 0.472         |
| 124  | 1184       | शिव सोरमबाई पिता मनीराम जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी                                  | 0.696    | 0.450         |
| 125  | 1185       | शिव सोरमबाई पिता मनीराम जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी                                  | 1.972    | 0.256         |
| 126  | 1182/3/1/1 | देवी सिंह पिता गंगाधर जाति चमार ग्रा नि भूस्वामी                                     | 0.138    | 0.100         |
| 127  | 1182/3/1/2 | उमराव बाई पत्नी नाथूलाल जाति चमार ग्रा नि भूस्वामी                                   | 0.506    | 0.037         |
| 128  | 1198/2     | दीनदयाल ना बा पि भावसिंह स प पिता खुद भावसिंह जाति धाकड़ ग्रा नि भूस्वामी            | 0.152    | 0.034         |
| 129  | 1197/1     | देवी सिंह पिता गंगाधर जाति चमार ग्रा नि भूस्वामी                                     | 0.675    | 0.400         |
| 130  | 1197/2     | देवी सिंह पिता गंगाधर जाति चमार ग्रा नि भूस्वामी                                     | 0.337    | 0.264         |

| क्र.     | सर्वे नं.    | भूमि स्वामित्व धारी का नाम  | कुल रकबा | प्रभावित भूमि |
|----------|--------------|---|----------|---------------|
| 1        | 2            | 3   | 4        | 5             |
| 131      | 1099/1/4     | ओम प्रकाश बबलू माधू त्रिलोक जितेन्द्र विष्णु पिता अमर सिंह पृस्पा बाई बेवा अमर सिंह जाती राव गा नि भूस्वामी | 0.018    | 0.014         |
| 132      | 1099/1/1     | ओम प्रकाश बबलू माधू त्रिलोक जीतेन्द्र विष्णु पिता अमर सिंह पृस्पा बाई बेवा अमर सिंह जाती राव गा नि भूस्वामी | 0.103    | 0.001         |
| 133      | 1311/1098/1  | ओम प्रकाश बबलू माधू त्रिलोक जितेन्द्र विष्णु पिता अमर सिंह पृस्पा बाई बेवा अमर सिंह जाती राव गा नि भूस्वामी | 0.038    | 0.012         |
| 134      | 1313/1098/1  | ओम प्रकाश बबलू माधू त्रिलोक जितेन्द्र विष्णु पिता अमर सिंह पृस्पा बाई बेवा अमर सिंह जाती राव गा नि भूस्वामी | 0.050    | 0.025         |
| 135      | 1101/2       | ओम प्रकाश बबलू माधू त्रिलोक जितेन्द्र विष्णु पिता अमर सिंह पृस्पा बाई बेवा अमर सिंह जाती राव गा नि भूस्वामी | 0.374    | 0.080         |
| 136      | 1310/1097    | ओम प्रकाश बबलू माधू त्रिलोक जितेन्द्र विष्णु पिता अमर सिंह पृस्पा बाई बेवा अमर सिंह जाती राव गा नि भूस्वामी | 0.114    | 0.114         |
| 137      | 1097         | मांगीलाल पप्प विजयसिंह पिता वलदेव शतिबाई दरियोबाई राजबाई पुत्रिया बलदेव                                     | 0.089    | 0.008         |
| 138      | 1311//1098/2 | गीताबाई बेवा बलदेव जाती राव गा नि भूस्वामी  | 0.038    | 0.038         |
| 139      | 102/4        | अगीरथ पिता रामलाल जाति धाकड़ गा नि भूस्वामी   | 0.367    | 0.017         |
| 140      | 102/15       | अगीरथ पिता रामलाल जाति धाकड़ गा नि भूस्वामी   | 0.018    | 0.014         |
| 141      | 102/12       | जगन्नाथ पिता देव्या जाति धाकड़ गा नि भूस्वामी   | 0.019    | 0.019         |
| 142      | 108/1        | आवरीबाई पति भरतसिंह जाति धाकड़ गा नि भूस्वामी   | 0.092    | 0.001         |
| 143      | 109/1/2/2    | भूस्वामी  | 0.059    | 0.020         |
| 144      | 109/1/2/1    | नन्द लाल पिता हरिप्रसाद ही ३७ पैसे पुरसोतम कमलाबाई पिता अमृतलाल मांगीबाई                                    | 0.239    | 0.230         |
| 145      | 109/1/2/6    | बेवा अमृतलाल ही ५७ पैसे जाति सुतार घीसालाल पिता बालकिशन जाति धाकड़ ही ६ पैसे नि गा भूस्वामी                 | 0.13     | 0.095         |
| 146      | 110/1        |   | 0.443    | 0.170         |
| 147      | 109/1/2/5    | मंशीबाई पति सरजनसिंघ जाति धाकड़ नि गा भूस्वामी  | 0.221    | 0.018         |
| 148      | 109/1/2/3    | दुर्गाप्रसाद पिता गंगाधर जाति सुतार नि गा भूस्वामी  | 0.049    | 0.049         |
| 149      | 109/2        |   | 0.253    | 0.208         |
| 150      | 110/2        |   | 0.139    | 0.130         |
| 151      | 1032/3       | प्रेमसिंह पिता मनीराम जाति धाकड़ नि गा भूस्वामी   | 0.19     | 0.190         |
| 152      | 111          | गीताबाई पुत्री हजारीलाल रामचंद्र दुर्गा प्रसाद गंगाधर प्रताप पिता कनीराम सुतार                              | 2.338    | 0.155         |
| 153      | 1196         | गीताबाई पुत्री हरन्दया ही ५० पैसे भगीरथ पिता प्यारा ही ५० पैसे जाति चमार गा नि भूस्वामी                     | 0.392    | 0.002         |
| 154      | 1182/1       | देव सिंह पिता गंगाधर जाति चमार गा नि भूस्वामी   | 0.822    | 0.380         |
| 155      | 1182/2       | देव सिंह पिता गंगाधर जाति चमार गा नि भूस्वामी   |          |               |
| कुलयोग:- |              |   | 46.437   | 17.618        |

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
निधि निवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 11 अ-82-19-20-खटहड़-211

बैतूल, दिनांक 6 जनवरी 2020

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

### अनुसूची-1

| जिला              | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जन का रकमा हो 0 में | धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी    | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                             |
|-------------------|-------|-----------|------------------------|--|--|
| 1                 | 2     | 3         | 4                      | 5  | 6  |
| बैतूल<br>(म0प्र0) | आठनेर | खटगढ़     | 0.664                  | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई | निरगुड मध्यम परियोजना के पहुंचमार्ग हेतु भूमि का अर्जन |

### अनुसूची - 2 ( प्रभावित धारकों की सूची )

| क्रमांक | भूमिस्वामी कृषक का नाम   | खसरा नम्बर | भूमि का कुल रकमा | अर्जित भूमि का रकमा |
|---------|--|------------|------------------|---------------------|
| 1       | 2  | 3          | 4                | 5                   |
| 1       | हुकुम पिता लक्ष्मण जाति कुन्ही नि० जावरा   | 59         | 0.745            | 0.068               |
| 2       | शैलेन्द्र पिता दशरथ जाति किराड निवासी माण्डवी  | 62         | 2.128            | 0.049               |
| 3       | चिन्धु फन्दया पिता आनंदराव जाति कुन्ही निवासी जावरा  | 57         | 2.553            | 0.175               |
| 4       | वमनराव पिता डोमा, सखु, सीता, कुसुम पिता डोमा, गया बेवा डोमा, सिन्धु बेवा पाण्डूरंग, दुर्गादास पिता पाण्डूरंग, संध्या, जयश्री पिता पाण्डूरंग जाति कुन्ही सा० देह  | 56/2       | 2.023            | 0.114               |
| 5       | वच्छला बेवा नाथुराम, गणपतराव, मंगलमूर्ति पिता नाथुराम, ईमला, कमला, मंगला पिता नाथुराम जाति कुन्ही सा० देह  | 56/6       | 2.023            | 0.129               |
| 7       | नर्मदा पिता यादोराव, रामू पिता यादोराव, रेणुगा पति यादोराव, हरि पिता यादोराव, पार्वती बेवा शंकर, बुधराव, गुलाब, अशोक पिता शंकर, तारा, भीरा, पिता शंकर, कान्ता बेवा युवराज, उज्जवल पिता युवराज, कविता, सरिता, भावना, वन्दना, दिपिका पिता युवराज जाति कुन्ही सा० देह | 56/4       | 2.363            | 0.129               |
|         |  |            | 11.835           | 0.664               |

1- चूंकि, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।

2- भूमि का नवशा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रो) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्रमांक 12-अ-82-19-20-टिपनापुर-210

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

**अनुसूची-1**

| जिला              | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जन का रकबा हेठो में | धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी    | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                             |
|-------------------|-------|-----------|------------------------|--|--|
| 1                 | 2     | 3         | 4                      | 5  | 6  |
| बैतूल<br>(म0प्र0) | आठनेर | टिपनापुर  | 1.052                  | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई | निरगुड मध्यम परियोजना के पहुंचमार्ग हेतु भूमि का अर्जन |

**अनुसूची - 2**  
( प्रभावित धारको की सूची )

| क्रमांक | भूमिस्वामी कृषक का नाम   | खसरा नम्बर | भूमि का कुल रकबा | अर्जित भूमि का रकबा |
|---------|--|------------|------------------|---------------------|
| 1       | 2  | 3          | 4                | 5                   |
| 1       | विट्ठलराव पिता भैया जाति कुन्ही निराजवरा   | 8          | 2.000            | 0.086               |
| 2       | मारोती पिता गंगाराम जाति कुन्ही निराजवरा   | 70         | 2.315            | 0.157               |
| 3       | चिन्ही बेवा शेषराव जाति कुन्ही निवासी जावरा  | 71         | 1.943            | 0.132               |
| 4       | खट्ट्या पिता पुन्ज्या, मीर्ल पिता पुन्ज्या, काशी बेवा नत्थ्या, केशोराव, गुलाबराव पिता नत्थ्या जाति कुन्ही निराजवरा | 72         | 2.339            | 0.061               |
|         |  | 76         | 5.492            | 0.242               |
| 5       | सुखदेव, जगन, निलेश, रमेश पिता धुस्या, सरू मुन्ही, गीता पिता धुस्या जाति कुन्ही निवासी जावरा                        | 73         | 1.740            | 0.060               |
| 6       | ललिता जौजा जगन जाति कुन्ही निवासी जावरा  | 74         | 1.619            | 0.060               |
| 7       | यशवन्तराव पिता नत्थ्या जाति कुन्ही निवासी जावरा  | 75/1       | 4.702            | 0.254               |
| योग     |  |            | 22.150           | 1.052               |

1- चूंकि, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

## कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-सिलवानी जिला रायसेन मध्यप्रदेश शासन

क्र 1621- भू-अर्जन-2019

रायसेन, दिनांक 7 जनवरी 2020

प्रकरण क्रमांक 05-अ-82-19-20-भू-अर्जन/सिलवानी चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) स (6) में वाणिज भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2 ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्य की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारकों द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमिधारकों से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्य किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

ग्राम का नाम— बम्होरी वर्धा, रिमझा

तहसील— सिलवानी

| स.क. | ग्राम का नाम  | भूमि खासी का नाम   | अर्जित किये जाने वाले खसरा नं. | कुल रकबा हेक्टेयर | अर्जित रकबा हेक्टेयर में | प्राधिकृत अधिकारी                        | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन   |
|------|---------------|--|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--|--|
| 1    | 2             | 3  | 4                              | 5                 | 6                        | 7  | 8  |
| 1    | बम्होरी वर्धा | मनमोदसिंह आ. प्यारेलाल जाति केवट नि. रिमझा                             | 88/2                           | 0.263             | 0.12                     | कार्यपालन यंत्री लोनियो सेतु संभाग भोपाल | लोनियो सेतु संभाग भोपाल द्वारा ग्राम बम्होरी वर्धा रमपुरा दाखली—रिमझा मार्ग पर ग्राजू नदी पर पुल मय पहुँच मार्ग हेतु |
| 2    | बम्होरी वर्धा | लालसिंह आ. प्यारेलाल जाति केवट नि. रिमझा                               | 88/1                           | 89                | 0.269<br>0.938           | 0.03<br>0.03                             | तदैव   |
| 3    | बम्होरी वर्धा | मानसिंह आ. नारायणसिंह जाति किरार नि. रिमझा                             | 86                             | 0.526             | 0.035                    | तदैव                                     | तदैव   |
| 4    | बम्होरी वर्धा | शिव्यूलाल बारेलाल बिहारीलाल लक्ष्मण बलु आ. वंशीलाल जाति केवट नि. रिमझा | 68<br>70/1                     | 0.405<br>0.373    | 0.03<br>0.005            | तदैव                                     | तदैव   |
| 5    | रिमझा         | सुभाषचंद्र आ. शंकरलाल जाति ब्राह्मण नि. रमपुरा                         | 39/1                           | 0.178             | 0.04                     | तदैव                                     | तदैव   |
| 6    | रिमझा         | प्रकाशनारायण आ. शंकरलाल जाति ब्राह्मण नि. रमपुरा                       | 39/2                           | 0.178             | 0.09                     | तदैव                                     | तदैव   |
| 7    | रिमझा         | कैलशनारायण आ. शंकरलाल जाति ब्राह्मण नि. रमपुरा                         | 39/3<br>37/3                   | 0.174<br>0.356    | 0.02<br>0.09             | तदैव                                     | तदैव   |
| 8    | रिमझा         | हाकमसिंह आ. तूलसीराम जाति. रघुवंशी नि. रमपुरा                          | 41                             | 0.943             | 0.03                     | तदैव                                     | तदैव   |

क्र 1494- भू-अर्जन-2019

... दिनांक 12 दिसम्बर 2019

प्रकरण क्रमांक 04-अ-82<sup>भू</sup>-अर्जन/सिलवानी चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अल्पाई के खान (1) सं (6) में वार्ता भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्य की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुज्ञार धारकों द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमिधारकों से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्य किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

ग्राम का नाम— परासिया प्रतापगढ़, मरहेंटी

तहसील:— सिलवानी

| स.क. | ग्राम का नाम      | भूमि स्वामी का नाम   | अर्जित किये जाने वाले खसरा नं. | कुल रकबा हेक्टेयर       | अर्जित रकबा हेक्टेयर में | प्राधिकृत अधिकारी                          | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन  |
|------|-------------------|--|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|---|
| 1    | 2                 | 3  | 4                              | 5                       | 6                        | 7  | 8   |
| 1    | परासिया प्रतापगढ़ | रामबाबू आ. हाकम सिंह जाति— राजपूत नि.ग्रा. भूमि स्वामी                   | 375, 376, 374/1                | 1.152                   | 0.324                    | कार्यपालन यत्रा लो०नि०वि० सेतु संभाग भोपाल | ला०. ०१०५० सेतु सभाग भोपाल द्वारा ग्राम प्रतापगढ़—सियरमऊ मार्ग पर परासिया नगी पर पुल व पहुंच मार्ग निर्माण हेतु |
| 2    | परासिया प्रतापगढ़ | अख्तर खान, फैसल खान आ. फरहत उल्लाह खान जाति— मुरिस्लिम नि.ग्रा.          | 373/2                          | 0.619                   | 0.324                    | तदैव                                       | तदैव  |
| 3    | परासिया प्रतापगढ़ | रहमान नईम शाह आ. सुल्तान शाह नि.ग्रा                                     | 372, 373/1 कि.ता.              | 0.259<br>0.405<br>0.664 | 0.214<br>0.129<br>0.343  | तदैव                                       | तदैव  |
| 4    | मरहेंटी प्रतापगढ़ | श्री. द्वारका प्रसाद मोकम सिंह आ. चुन्नीलाल जाति राठौर नि.ग्रा प्रतापगढ़ | 83                             | 1.991                   | 0.182                    | तदैव                                       |   |

## क्र 1496- भू-अर्जन-2019

प्रकरण क्रमांक 004-अ-82-भू-अर्जन.— सिलवानी चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वाणी भूमि का अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्य की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारकों द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमिधारकों से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्य किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

ग्राम का नाम— प्रतापगढ़

तहसील:— सिलवानी

| स.क्र. | ग्राम का नाम | भूमि स्वामी का नाम  | अर्जित किये जाने वाले खसरा नं. | कुल रक्बा हेक्टेयर | अर्जित रक्बा हेक्टेयर में | प्राधिकृत अधिकारी                           | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन  |
|--------|--------------|---|--------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---|
| 1      | 2            | 3   | 4                              | 5                  | 6                         | 7   | 8   |
| 1      | प्रतापगढ़    | सुंदरलाल आ. खुशीलाल व खुशीलाल आ. छोटेलाल जाति— लोधी नि.ग्रा.भूमि स्वामी | 110                            | 0.926              | 0.19                      | कार्यपालन यंत्री लो०नि०वि० सेतु संभाग भोपाल | लो०नि०वि० सेतु संभाग भोपाल द्वारा ग्राम डुगरिया से प्रतापगढ़ मार्ग पर पुल मय पहुँच मार्ग हेतु |
| 2      | प्रतापगढ़    | लक्ष्मीनारायण आ. छोटेलाल जाति— कलार नि.ग्रा.                            | 111                            | 0.555              | 0.08                      | तदैव  | तदैव  |
|        |              |   |                                |                    |                           |   |   |

क्र 1497- भू-अर्जन-2019

प्रकरण क्रमांक 001-अ-82-19-20 भू-अर्जन / सेलवानी चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2 ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्य की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारकों द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमिकाओं ऐ परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपकम के पक्ष में क्य किये जाने पर अपत्ति जारी रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो निम्न अनुसार (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

ग्राम का नाम— उमरझिर

तहसील.— शिलपानी

| स.क्र. | ग्राम का नाम | भूमि स्वामी का नाम   | अर्जित किये जाने वाले खसरा नं. | कुल रकमा हेक्टेयर | अर्जित रकमा हेक्टेयर में | प्राधिकृत अधिकारी  | रार्यजनिक प्रयोजन का वर्णन  |
|--------|--------------|--|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--|---|
| 1      | 2            | 3  | 4                              | 5                 | 6                        | 7  | 8   |
| 1      | प्रतापगढ     | मंदिर—श्री राम जानकी मंदिर संरक्षक जिला अध्यक्ष महोदय रायसेन | 91                             | 0.729             | 0.27                     | कार्यपालन यंत्री लो०नि०वि० सेतु संभाग भोपाल द्वारा ग्राम साईखेडा—उमरझिर— केवटपिपलिया पर बेगम नदी पर पुल मय पहुँच मार्ग हेतु। | लो०नि०वि० सेतु संभाग भोपाल द्वारा ग्राम साईखेडा—उमरझिर— केवटपिपलिया पर बेगम नदी पर पुल मय पहुँच मार्ग हेतु। |

(८)

विशाल सिंह चौहान, अनुविभागीय अधिकारी.

**राजस्व विभाग**  
**मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल**

**संशोधित अधिसूचना**

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2020

क्रमांक एफ. 01-01/2019/सात-7 विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ. 01-01/2019/सात-7 दिनांक 17/10/2019, जो कि राजपत्र में दिनांक 25/10/2019 में प्रकाशित हुई है, में संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के परन्तुक में निहित उपबंधों के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा जबलपुर जिले की तहसील जबलपुर एवं शहपुरा तहसील से नवीन तहसील बरगी सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेख किये गये अनुसार वर्तमान तहसील शहपुरा व तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम (2) में दर्शाई तहसील को कॉलम (4) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएँ निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है।

2/ मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 30 दिन समाप्त होने पर विचार किया जायेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियाँ या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे -

| क्र० | विद्यमान<br>तहसील का<br>नाम तथा<br>उसका<br>मुख्यालय | प्रस्तावित परिवर्तन के<br>पश्चात् तहसील में<br>सम्मिलित किये जाने<br>वाले या उससे अपवर्जित<br>किये जाने वाले क्षेत्रों का<br>विवरण | प्रस्तावित परिवर्तन के<br>परिवर्तन के<br>पश्चात् तहसील में<br>एवं उसके<br>मुख्यालय का<br>नाम                       | प्रस्तावित परिवर्तन के<br>पश्चात् तहसील में<br>समाविष्ट किये गये क्षेत्रों<br>के विवरण   | प्रस्तावित परिवर्तन के<br>पश्चात् तहसील की<br>सीमाएँ  | अभियुक्तियाँ   |              |
|------|---|--|--|--|---|--|--------------|
| (1)  | (2)   | (3)  | (4)  | (5)  | (6)   | (7)  |              |
| 1.   | शहपुरा  | वर्तमान तहसील शहपुरा के<br>राजि.मं. चरगवां के<br>प.ह.नं. 66, 67, 69<br>लगायत 81 एवं 85 कुल<br>16 प.ह.ने. अपवर्जित<br>होंगे         | शहपुरा<br>पश्चात् तहसील में<br>सम्मिलित किये जाने<br>वाले या उससे अपवर्जित<br>किये जाने वाले क्षेत्रों का<br>विवरण | वर्तमान तहसील शहपुरा के<br>राजि.मं. चरगवां के<br>प.ह.नं. 01 लगायत<br>29, राजि.मं. शहपुरा के<br>कुल प.ह.नं. 30 लगायत<br>55 एवं राजि.मं. चरगवां<br>के कुल प.ह.नं. 56<br>लगायत 65, 68 एवं 82<br>लगायत 84 इस प्रकार<br>कुल 69 पटवारी हल्के<br>समाविष्ट होंगे | उत्तर में- तहसील<br>पाठन जिला जबलपुर<br>पूर्व में- तहसील<br>जबलपुर एवं प्रस्तावित<br>तहसील बरगी जिला<br>जबलपुर<br>दक्षिण में- तहसील<br>गोटेगांव जिला<br>नरसिंहपुर एवं तहसील<br>लखनादान जिला<br>सिवनी<br>पश्चिम में- तहसील<br>तेंदुखेड़ा एवं नरसिंहपुर<br>जिला नरसिंहपुर | प्रस्तावित परिवर्तन के<br>पश्चात् तहसील की<br>सीमाएँ | अभियुक्तियाँ |

|    |        |  |   |  |
|----|--------|--|---|--|
| 2. | जबलपुर | तहसील जबलपुर के जबलपुर रा.नि.मं. जबलपुर-2 प.ह.नं. 25 लगायत 30 रा.नि.मं. बरगी के प.ह.नं. 31 लगायत 66 एवं 101 कुल 45 प.ह.न. अपवर्जित होंगे   | वर्तमान तहसील जबलपुर के रा.नि.मं. खेमरिया मुख्यालय बरेला के प.ह.नं. 67 लगायत 100 कुल 33 प.ह.न. समाविष्ट होंगे   | उत्तर में- तहसील राझी एवं कुडम जिला जबलपुर पूर्व में- तहसील कुडम जिला जबलपुर दक्षिण में- तहसील नारायणगंज जिला मण्डला पश्चिम में- प्रस्तावित तहसील बरगी जिला जबलपुर उत्तर में- तहसील शहपुरा एवं गोरखपुर जिला जबलपुर पूर्व में- तहसील नारायणगंज जिला मण्डला एवं तहसील राझी जिला जबलपुर दक्षिण में- तहसील धनसौर, लखनादौन जिला सिवनी पश्चिम में- तहसील शहपुरा जिला जबलपुर समाविष्ट होंगे |
| 3. | -      | तहसील बरगी मुख्यालय धाना रा.नि.मं. चरगां के प.ह.नं. 66, 67, 69 लगायत 81 एवं 85 तथा वर्तमान तहसील जबलपुर के रा.नि.मं.जबलपुर-2 प.ह.नं. 25 लगायत लगायत 30 रा.नि.मं. बरगी के प.ह.न. 31 लगायत 66 एवं 101 लगायत 103 कुल प.ह.नं. 61 अपवर्जित होकर | वर्तमान तहसील शहपुरा के रा.नि.मं. चरगां के प.ह.नं. 66, 67, 69 लगायत 81 एवं 85 तथा वर्तमान तहसील जबलपुर के रा.नि.मं.जबलपुर-2 प.ह.नं. 25 लगायत लगायत 30 रा.नि.मं. बरगी के प.ह.न. 31 लगायत 66 एवं 101 लगायत 103 कुल प.ह.नं. 61 अपवर्जित होकर | प्रस्तावित तहसील बरगी में शहपुरा जिला जबलपुर उत्तर में- तहसील शहपुरा एवं गोरखपुर जिला जबलपुर पूर्व में- तहसील नारायणगंज जिला मण्डला एवं तहसील राझी जिला जबलपुर दक्षिण में- तहसील धनसौर, लखनादौन जिला सिवनी पश्चिम में- तहसील शहपुरा जिला जबलपुर  |

3/ प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है ताकि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके।

मुजीबुरहमान खान, उपसचिव.

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

बालाघाट, दिनांक 12 सितम्बर 2019

**क्र. 4613-भू-अर्जन-2019.**—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा मॉयनर नहर निर्माण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

#### अनुसूची

| भूमि का विवरण |          |           | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                     |  |  |
|---------------|----------|-----------|---|--|--|
| जिला          | तहसील    | नगर/ग्राम | अर्जित की जाने वाली पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार            | प्रस्तावित भूमि लगभग और पारदर्शिता का अधिकार | अधिनियम, 2013 की धारा-12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी |
| (1)           | (2)      | (3)       | (4)   | (5)  | (6)  |
| बालाघाट       | खैरलांजी | दैतर्या   | रक्का 0.341 हे. एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियाँ। | भू-अर्जन अधिकारी, वारासिवनी जिला बालाघाट।    | मॉयनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण।      |

- (2) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [dbmbalaghat@nic.in](mailto:dbmbalaghat@nic.in) एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देख सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वारासिवनी, जिला बालाघाट के कार्यालय में भी देख सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में कलेक्टर, बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

बालाघाट, दिनांक 27 सितम्बर 2019

**क्र. 7340-भू-अर्जन-2019.**—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की

संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा ब्राडगेज अमान परिवर्तन जो कि भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

| जिला    | तहसील  | नगर/ग्राम                            | भूमि का विवरण  | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक क्षेत्रफल (हे. मे.)        | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक क्षेत्रफल (हे. मे.) की धारा-12 के अंतर्गत प्रधिकृत अधिकारी |
|---------|--|--------------------------------------|--|--|---|
| (1)     | (2)  | (3)                                  | (4)  | (5)  | (6)   |
| बालाघाट | कटंगी  | अर्जुननाला<br>प.ह.नं. 26<br>रा.नि.म. | ख. नं. 327/7 रकबा<br>0.051 हे. मे से रकबा<br>0.016 हे. एवं उपरोक्त<br>कटंगी. | भू-अर्जन अधिकारी, तहसील<br>कटंगी, जिला—बालाघाट।<br>अर्जित की जाने वाली<br>प्रस्तावित भूमि पर आने<br>वाली संपत्तियां। | कटंगी से तिरोडी ब्राडगेज अमान<br>परिवर्तन निर्माण के लिए निजी<br>भूमि का अधिग्रहण।                          |
| (2)     | अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <a href="mailto:dbmalaghat@nic.in">dbmalaghat@nic.in</a> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <a href="http://www.mprevenue.nic.in/">http://www.mprevenue.nic.in/</a> पर भी देखा सकता है। |                                      |  |  |   |
| (3)     | अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है।  |                                      |  |  |   |
| (4)     | अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील कटंगी, जिला बालाघाट (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया सकता है।  |                                      |  |  |   |
| (5)     | अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण उप मुख्य अभियंता (निर्माण) द.प्.म. रेल्वे नागपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है।  |                                      |  |  |   |
| (6)     | अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।  |                                      |  |  |   |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

## कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, जिला इन्डौर

इन्दौर, दिनांक 7 नवम्बर 2019

क्र. 2461-भू-अर्जन-2019-प्र. क्र. . . अ-82-2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11(1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित रतलाम-खण्डवा अकोला अमान परिवर्तन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत विद्युतिकरण में प्रस्तावित “उप विद्युत कर्षण केन्द्र” के कार्य की प्रकृति लोक हित में अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है। अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है। जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है। इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |                        |              |                             | धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी                | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन  |
|---------------|------------------------|--------------|-----------------------------|--|---|
| जिला          | तहसील                  | ग्राम का नाम | लगभग क्षेत्रफल<br>(हे. में) |  |   |
| (1)           | (2)                    | (3)          | (4)                         | (5)  | (6)   |
| इन्दौर        | डॉ. अम्बेडकर नगर, महू. | नेउगुराडिया  | 0.892                       | उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण)<br>पश्चिम रेल्वे इन्दौर. | रतलाम-खण्डवा अकोला अमान परिवर्तन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत विद्युतिकरण में प्रस्तावित “उप विद्युत कर्षण केन्द्र”. |

### नोट:—

1 उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

2 उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व भू-अर्जन अधिकारी, डॉ अम्बेडकर नगर महू जिला इन्दौर/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

3 प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रस्तावित परिवार का विस्थापन निहीत नहीं है।

4 प्रस्तावित प्रयोजन लोक प्रयोजन होने से भू-अर्जन के लिए सामाजिक समाधात अध्ययन से छूट प्राप्त है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
लोकेश कुमार जाटब, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 25 नवम्बर 2019

क्र. 353-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची

के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ।

चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है। अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |         |       |                          | धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी   | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन  |     |
|---------------|---------|-------|--------------------------|--|-----------------------------|-----|
| जिला          | तहसील   | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | (4)  | (5)                         | (6) |
| रीवा          | सेमरिया | करमही | 0.159                    | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग रीवा। जलमोहरा नाला पर पुल निर्माण। | रीवा-बीडा-सेमरिया मार्ग में |     |

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

रीवा, दिनांक 7 दिसम्बर 2019

क्र. 374-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ।

चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है। अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |         |        |                          | धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी   | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन  |     |
|---------------|---------|--------|--------------------------|--|-----------------------------|-----|
| जिला          | तहसील   | ग्राम  | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | (4)  | (5)                         | (6) |
| रीवा          | सेमरिया | लटियार | 0.061                    | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग रीवा। जलमोहरा नाला पर पुल निर्माण। | रीवा-बीडा-सेमरिया मार्ग में |     |

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ओमप्रकाश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

रीवा, दिनांक 8 जनवरी 2020

क्र. 09-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है। अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम            | लगभग क्षेत्रफल<br>(हे. में) | धारा 12 की धारा द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                   | सार्वजनिक प्रयोजन<br>का वर्णन  |
|------|-------|------------------|-----------------------------|---|--|
| (1)  | (2)   | (3)              | (4)                         | (5)   | (6)  |
| रीवा | गुढ़  | गुढ़ वार्ड नं. 1 | 0.064                       | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग रीवा. | रीवा जिले के गुढ़ चंदेहरी मार्ग में बिछिया नदी पर पुल एवं पहुंचमार्ग का निर्माण कार्य. |

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 10-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है। अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल<br>(हे. में) | धारा 12 की धारा द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                   | सार्वजनिक प्रयोजन<br>का वर्णन  |
|------|-------|-------|-----------------------------|---|--|
| (1)  | (2)   | (3)   | (4)                         | (5)   | (6)  |
| रीवा | जवा   | देवरी | 0.177                       | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग रीवा. | रीवा जिले के खरपटा भनिगवां मार्ग में महाना नदी पर पुल एवं पहुंचमार्ग का निर्माण कार्य. |

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बसंत कुर्ऱे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 24 दिसम्बर 2019

प्र. क्र. 07-अ-82-वर्ष 2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |           |  | धारा 12 के अंतर्गत                       | सार्वजनिक प्रयोजन                                    |
|---------------|-------|-----------|--|--|--|
| जिला          | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में)   | प्राधिकृत अधिकारी                        | का वर्णन   |
| (1)           | (2)   | (3)       | (4)  | (5)                                      | (6)  |
| पन्ना         | परवई  | कुडगवां   | निजी भूमि रकबा 0.32 है। एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है।<br>कुल रकबा 0.32 है। | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, परवई। | पटना तालाब योजना के अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु। |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, परवई के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 08-अ-82-वर्ष 2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |             |  | धारा 12 के अंतर्गत                       | सार्वजनिक प्रयोजन                                   |
|---------------|--------|-------------|--|--|---|
| जिला          | तहसील  | नगर/ग्राम   | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में)   | प्राधिकृत अधिकारी                        | का वर्णन  |
| (1)           | (2)    | (3)         | (4)  | (5)                                      | (6)   |
| पन्ना         | शाहनगर | रामपुरखजुरी | निजी भूमि रकबा 15.88 है। एवं शासकीय भूमि रकबा 0.05 है।<br>कुल रकबा 15.93 है। | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, परवई। | उमेही नाला तालाब योजना हेतु नहर निर्माण कार्य हेतु। |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, परवई के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कर्मचारी शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**  
सिवनी, दिनांक 26 दिसम्बर 2019

क्र. 8660-जि.भू-अर्जन.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की

संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

#### भूमि का विवरण

| जिला  | तहसील/<br>रा.नि.मं. | नगर/ग्राम/<br>प.ह.न.     | अर्जित की जाने वाली<br>प्रस्तावित भूमि लगभग<br>क्षेत्रफल (हे. में) | भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन<br>में पारदर्शिता का अधिकार<br>अधिनियम, 2013 की धारा 12<br>अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | अर्जित की जाने वाली भूमि<br>के सार्वजनिक प्रयोजन का<br>वर्णन |
|-------|---------------------|--------------------------|--|--|--|
| (1)   | (2)                 | (3)                      | (4)  | (5)  | (6)  |
| सिवनी | धनौरा/धनौरा         | धनोरा खुर्द<br>प.ह.न.-31 | 0.80   | कार्यालय, कार्यपालन यंत्री,<br>तिलवारा बांयी तट नहर संभाग<br>केवलारी, जिला सिवनी (म. प्र.).                                | अपर तिलवारा नहर  |

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला-सिवनी (म. प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 8661-जि.भू-अर्जन.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के उपबंधों के अनुसार एतदूदारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

#### भूमि का विवरण

| जिला  | तहसील/<br>रा.नि.मं. | ग्राम/<br>प.ह.न./<br>ब. न. | अर्जित की जाने वाली<br>प्रस्तावित भूमि का लगभग<br>क्षेत्रफल (हे. में) | भूमि अर्जन अधिनियम, 2013<br>की धारा 12 तहत<br>प्राधिकृत अधिकारी                           | अर्जित की जाने वाली भूमि<br>के सार्वजनिक प्रयोजन का<br>वर्णन |
|-------|---------------------|----------------------------|---|---|--|
| (1)   | (2)                 | (3)                        | (4)   | (5)   | (6)  |
| सिवनी | धनौरा/धनौरा         | रावठान<br>प.ह.न.-30        | निजी रकबा— 1.17<br>शासकीय रकबा—0.06<br>कुल योग— 1.23                  | कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग, केवलारी जिला सिवनी। मायनर का निर्माण कार्य। | अपर तिलवारा नहर की टेल                                       |

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला-सिवनी (म. प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

क्र. 8662-जि.भू-अर्जन.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

| जिला  | तहसील/<br>रा.नि.म.   | भूमि का विवरण              | भूमि अर्जन अधिनियम, 2013  | अर्जित की जाने वाली भूमि<br>के सार्वजनिक प्रयोजन का<br>वर्णन |
|-------|--|----------------------------|---|--|
|       |  | ग्राम/<br>प.ह.न./<br>ब. न. | अर्जित की जाने वाली<br>प्रस्तावित भूमि का लगभग<br>क्षेत्रफल (हे. में) | की धारा 12 तहत<br>प्राधिकृत अधिकारी                          |
| (1)   | (2)  | (3)                        | (4)   | (5)  |
| सिवनी | धनौरा/धनौरा  | धनौरा खुर्द<br>प.ह.न.-24   | निजी रकबा—<br>शासकीय रकबा—<br>कुल योग—                                | 1.87<br>0.28<br>2.15   |
| (2)   | अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।   |                            |   |  |
| (3)   | अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला-सिवनी (म. प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।  |                            |   |  |
| (4)   | अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय में किया जा सकता है।   |                            |   |  |
| (5)   | अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे। |                            |   |  |

सिवनी, दिनांक 28 दिसम्बर 2019

क्र. 8745-जि.भू-अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित में प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |   |                           | भूमि अर्जन अधिनियम, 2013                      |  | अर्जित की जाने वाली भूमि   |
|---------------|---|---------------------------|---|--|--|
| जिला          | तहसील/ रा.नि.मं.  | नगर/ग्राम                 | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का लागभाग | की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी                                  | के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन  |
| (1)           | (2)   | (3)                       | (4)   | (5)  | (6)  |
| सिवनी         | तहसील-केवलारी रा.नि.मं.-केवलारी   | ग्राम-केवलारी प.ह.नं.-41. | 0.01 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित संपत्तियाँ।     | उप मुख्य अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा। | छिंदवाड़ा-नैनपुर-मंडला फोर्ट के मध्य छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तन हेतु। |
| (2)           | अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, केवलारी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।   |                           |   |  |  |
| (3)           | अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, उप मुख्य अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, मध्य रेल्वे छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।  |                           |   |  |  |
| (4)           | अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे। |                           |   |  |  |

सिवनी दिनांक 6 जनवरी 2020

क्र. 126-भू-अर्जन.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश

देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |                     |                            |  | धारा 11 की उपधारा                  | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन  |
|---------------|---------------------|----------------------------|--|------------------------------------|---|
| जिला          | तहसील/<br>रा.नि.मं. | ग्राम/<br>प.ह.न./<br>ब. न. | क्षेत्रफल अर्जित<br>रक्का<br>(हे. में)       | (2) के द्वारा प्राधिकृत<br>अधिकारी |   |
| (1)           | (2)                 | (3)                        | (4)  | (5)                                | (6)   |
| सिवनी         | केवलारी/<br>केवलारी | खापा<br>प.ह.न.-21          | निजी भूमि—<br>शास. भूमि—<br><u>कुल भूमि—</u> | 8.79<br>—0.66<br><u>9.45</u>       | कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग, केवलारी, जिला सिवनी. अपर तिलवारा नहर की टेल नहर नहर निर्माण हेतु. |

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी केवलारी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी केवलारी, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

क्र. 127-भू-अर्जन.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |                     |                            |  | धारा 11 की उपधारा (2)          | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन  |
|---------------|---------------------|----------------------------|--|--------------------------------|---|
| जिला          | तहसील/<br>रा.नि.मं. | ग्राम/<br>प.ह.न./<br>ब. न. | क्षेत्रफल अर्जित<br>रक्का<br>(हे. में)         | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी |   |
| (1)           | (2)                 | (3)                        | (4)  | (5)                            | (6)   |
| सिवनी         | केवलारी/<br>केवलारी | मोहगाँव<br>प.ह.न.-20.      | निजी भूमि—<br>शासकीय भूमि—<br><u>कुल भूमि—</u> | 0.35<br>—0.01<br><u>0.36</u>   | कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग, केवलारी, जिला सिवनी. अपर तिलवारा नहर की टेल नहर निर्माण हेतु. |

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी केवलारी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति “ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी केवलारी, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

क्र. 135-भू-अर्जन.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |                  |                      |  | धारा 11 की उपधारा (2) के    | सार्वजनिक प्रयोजन का   |
|---------------|------------------|----------------------|--|-----------------------------|--|
| जिला          | तहसील/ रा.नि.मं. | ग्राम/ प.ह.न./ ब. न. | क्षेत्रफल अर्जित                             | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी    | वर्णन  |
| (1)           | (2)              | (3)                  | (4)  | (5)                         | (6)  |
| सिवनी         | केवलारी/ केवलारी | खरसारू य.प.ह.न.-20.  | निजी भूमि—<br>शास. भूमि—<br><u>कुल भूमि—</u> | 0.99<br>1.45<br><u>2.44</u> | कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग, केवलारी, जिला सिवनी। मायनर नहर निर्माण हेतु। |

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति “ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी केवलारी, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

क्र. 136-भू-अर्जन.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के

लिये प्राधिकृत करता है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

| भूमि का विवरण |                  |                      |  | धारा 11 की उपधारा (2) के   | सार्वजनिक प्रयोजन का                           |
|---------------|------------------|----------------------|--|--|--|
| जिला          | तहसील/ रा.नि.मं. | ग्राम/ प.ह.न./ ब. न. | क्षेत्रफल अर्जित (हे. में)                         | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी   | वर्णन  |
| (1)           | (2)              | (3)                  | (4)  | (5)  | (6)  |
| सिवनी         | केवलारी/ केवलारी | घरगोंदी प.ह.न.-21.   | निजी भूमि— 4.82 शासकीय भूमि—0.23<br>कुल भूमि— 5.05 | कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग, केवलारी, जिला सिवनी. | अपर तिलवारा नहर की टेल मायनर नहर निर्माण हेतु. |

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी केवलारी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति “ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी केवलारी, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रवीण सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 6 जनवरी 2020

प्र. क्र. 01-अ-82-2014-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) के दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों

का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

| जिला   | तहसील  | ग्राम  | भूमि का वर्णन<br>लगभग क्षेत्रफल 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी<br>(हे. में) | धारा 11 की उपधारा (1) एवं<br>(4)                        | सार्वजनिक प्रयोजन<br>का वर्णन<br>(5)                 |
|--------|--------|--------|--|---|--|
| (1)    | (2)    | (3)    | (4)  | (5)   | (6)  |
| छतरपुर | नौगांव | सरसेड़ | 1.360  | अनुविभागीय अधिकारी, (रा.)/<br>भू-अर्जन अधिकारी, नौगांव. | कृषि उपज मण्डी, हरपालपुर के<br>प्रांगण विस्तार हेतु. |

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी नौगांव के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मोहित बुंदस, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. जा. क्र. 915-16-ए.

राजगढ़, दिनांक 14 जनवरी 2020

(अंतर्गत धारा – 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया सिंचाई परियोजना के ग्राम मुण्डी तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया दांयी तट नहर के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे सुची कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची (1)

| ग्राम – मुण्डी |  | तहसील – जीरापुर |             | जिला राजगढ़ |
|----------------|--|-----------------|-------------|-------------|
| क्रं.          | विवरण  | कुल रकबा        | अर्जित रकबा |             |
| 1              | निजी भूमि<br>1. कुण्डलिया सिंचाई परियोजना के निर्माण क्षेत्र में<br>प्रभावित निजी भूमि | 24.797          | 3.484       |             |
|                | योग  | 24.797          | 3.484       |             |

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया सिचाई परियोजना में प्रभावित होने से

| स. क्र. | कृषक का नाम व पिता / पति का नाम                              | खसरा क्र. | भूमि का कुल रकबा | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा |
|---------|--|-----------|------------------|----------------------------------|
| 1       | गोरीलाल आ. गंगाराम जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी     | 98/2      | 1.670            | 0.145                            |
|         | योग  |           | 1.670            | 0.145                            |
| 2       | फूलसिंह पिता हीरालाल जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी   | 98/3/1    | 0.430            | 0.100                            |
|         | योग  |           | 0.430            | 0.100                            |
| 3       | सुजानसिंह पिता विजयसिंह जाति गुजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी  | 98/3/2    | 0.215            | 0.050                            |
|         | योग  |           | 0.215            | 0.050                            |
| 4       | जोशवरसिंह आ. विजेसिंह जाति गुजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी    | 98/3/3    | 0.215            | 0.050                            |
|         | योग  |           | 0.215            | 0.050                            |
| 5       | रतन पिता गोपाल जाति गुजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी           | 98/6      | 1.770            | 0.128                            |
|         | योग  |           | 1.770            | 0.128                            |
| 6       | नारायण पिता बापु जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी      | 150/2     | 3.793            | 0.093                            |
|         | योग  |           | 3.793            | 0.093                            |
| 7       | गोकुल पिता प्रभूलाल जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी      | 150/3/1   | 1.264            | 0.129                            |
|         | योग  |           | 1.264            | 0.129                            |
| 8       | दर्याव पिता प्रभूलाल जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी     | 150/3/2   | 1.264            | 0.028                            |
|         | योग  |           | 1.264            | 0.028                            |
| 9       | नारायणसिंह पिता पन्नालाल जाति गुजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी | 105/2/2   | 0.110            | 0.085                            |
|         | योग  |           | 106/1/2          | 0.337                            |
|         |  |           |                  | 0.447                            |
|         |  |           |                  | 0.245                            |

|    |  |           |       |       |
|----|--|-----------|-------|-------|
| 10 | કાલૂસિંહ પિતા હજારીલાલ કાલીબાઈ બૈવા<br>હજારીલાલ જાતિ ગુજર પતા નિ. ગ્રામ ભૂમિ સ્વામી  | 106/2/1   | 0.358 | 0.144 |
|    | યોગ  |           | 0.358 | 0.144 |
| 11 | રાયસિંહ પિતા હજારીલાલ કાલીબાઈ બૈવા<br>હજારીલાલ જાતિ ગુજર પતા નિ. ગ્રામ ભૂમિ સ્વામી   | 105/2/1   | 0.080 | 0.040 |
|    | યોગ  |           | 0.080 | 0.040 |
| 12 | બદ્ધીલાલ આત્મજ પન્નાલાલ જાતિ ગુજર પતા નિ.<br>ગ્રામ ભૂમિ સ્વામી   | 105/2/3   | 0.100 | 0.050 |
|    | યોગ  |           | 0.100 | 0.050 |
| 13 | કેસરીલાલ આ. પન્નાલાલ જાતિ ગુજર નિ.ગ્રામ ભૂમિ<br>સ્વામી   | 105/1     | 0.190 | 0.120 |
|    | યોગ  | 106/4     | 1.201 | 0.250 |
|    |  |           | 1.391 | 0.370 |
| 14 | દયાનન્દ હીરાનન્દ પિતા કરણસિંહ કજાતિ ગુર્જર પતા<br>મુણ્ડી ગ્રામ ભૂમિ સ્વામી   | 108/1     | 0.948 | 0.256 |
|    | યોગ  | 108/2     | 0.253 | 0.080 |
|    |  |           | 1.841 | 0.336 |
| 15 | નિર્મલ કુમાર દેવકરણ આ. વિજયસિંહ જાતિ ગુજર<br>પતા નિ. ગ્રામ ભૂમિ સ્વામી   | 108/5/2   | 1.000 | 0.160 |
|    | યોગ  |           | 1.000 | 0.160 |
| 16 | મુમતાજખા સરતાજખા નિજામખાં પિતા બાબૂખા<br>રેહાના બી પિતા બાબૂખા રહમતબી બૈવા બાબૂખાં જાતિ<br>પિંજારા પતા નિ. ગ્રામ ભૂમિ સ્વામી | 133/2/2   | 1.250 | 0.080 |
|    | યોગ  |           | 1.250 | 0.080 |
| 17 | દયાનંદ પિતા કરણસિંહ જાતિ ગુજર પતા નિ. ગ્રામ<br>ભૂમિ સ્વામી   | 133/1/1   | 0.729 | 0.150 |
|    | યોગ  |           | 0.729 | 0.150 |
| 18 | હિરાનન્દ પિતા કરણસિંહ જાતિ ગુજર પતા નિ.<br>ગ્રામ ભૂમિ સ્વામી   | 133/1/2   | 0.730 | 0.150 |
|    | યોગ  |           | 0.730 | 0.150 |
| 19 | ભગવાનસિંહ પિતા રતનસિંહ જાતિ સૌંધિયા પતા<br>નિ. ગ્રામ બાંસખેડી ભૂમિ સ્વામી  | 130/1/2/4 | 0.638 | 0.156 |
|    | યોગ  |           | 0.638 | 0.156 |
| 20 | પ્રેમસિંહ પિતા તરખરસિંહ જાતિ સૌંધિયા પતા નિ.<br>ગ્રામ બાંસખેડી ભૂમિ સ્વામી   | 130/1/2/3 | 0.638 | 0.170 |
|    | યોગ  |           | 0.638 | 0.170 |

|    |  |           |               |              |
|----|--|-----------|---------------|--------------|
| 21 | सुल्तानसिंह पिता तरवरसिंह जाति सौंधिया पता<br>निवासी ग्राम बांसखेड़ी भूमि स्वामी   | 130/1/2/2 | 0.093         | 0.040        |
|    | योग  |           | <b>0.093</b>  | <b>0.040</b> |
| 22 | लक्ष्मीनारायण पिता तरवरसिंह जाति सौंधिया पता<br>निवासी ग्राम बांसखेड़ी भूमि स्वामी | 117/1     | 1.152         | 0.280        |
|    | योग  |           | <b>1.152</b>  | <b>0.280</b> |
| 23 | प्रेमसिंह पिता तरवरसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम<br>बांसखेड़ी भूमि स्वामी             | 117/2     | 2.199         | 0.050        |
|    | योग  |           | <b>2.199</b>  | <b>0.050</b> |
| 24 | भागीरथ पिता बापू जाति चमार नि.ग्राम भूमि<br>स्वामी                                 | 118/1     | 0.580         | 0.090        |
|    | योग  |           | <b>0.580</b>  | <b>0.090</b> |
| 25 | हीराबाई पति पनालाल जाति चमार नि.ग्राम भूमि<br>स्वामी                               | 118/2     | 0.475         | 0.125        |
|    | योग  |           | <b>0.475</b>  | <b>0.125</b> |
| 26 | कालु आत्मज बापू जाति चमार नि.ग्राम भूमि स्वामी                                     | 118/4     | 0.475         | 0.125        |
|    | योग  |           | <b>0.475</b>  | <b>0.125</b> |
|    | <b>कुल योग</b>   |           | <b>24.797</b> | <b>3.484</b> |

नोट:—भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
निधि निवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

सतना, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

क्र. 549-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—रघुराजनगर
- (ग) नगर/ग्राम—सरिसाताल
- (घ) क्षेत्रफल—0.086 हेक्टर.

| खसरा नं. | कुल रकबा | अर्जित रकबा |
|----------|----------|-------------|
| (1)      | (2)      | (3)         |
| 228/4/2  | 0.040    | 0.040       |
| 232/2/ख  | 0.510    | 0.046       |
|          | कुल . .  | 0.086       |

निजी खाता भूमि योग रकबा 0.086 है।

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—सहायक कार्यकारी अधियंता (निर्माण-III) सतना पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

छतरपुर, दिनांक 2 जनवरी 2020

प्र. क्र. 01-अ-82-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (3) में

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (4) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषणा किया जाता है, की उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
- (ख) तहसील—छतरपुर
- (ग) ग्राम—रामपुर (पूरक)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.908 हेक्टर।

| स. क्र. | भूमि स्वामी का नाम                               | भूमि खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में.) |
|---------|--|---------------|------------------------|
| (1)     | (2)  | (3)           | (4)                    |
| 1       | श्रीमती रामदेवी पति श्री द्वारका प्रसाद पटेरिया। | 934/2         | 0.908                  |
| योग . . |  |               | 0.908                  |

- (2) ललितपुर सिंगरौली (खजुराहो) नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (गा.), भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मोहित बुंदस, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

सिवनी, दिनांक 6 जनवरी 2020

क्र. 134-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। तिलवारा बारी तट नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता

नहीं है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—धनौरा
- (ग) नगरग्राम—आमानाला प.ह.नं 32, ग.नि.मं—धनौरा
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.06 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

### निजी भूमि का रकबा

| प्रस्तावित<br>खसरा नम्बर | प्रस्तावित रकबा<br>(हेक्टेयर में) |
|--------------------------|-----------------------------------|
| (1)                      | (2)                               |
| 343/1                    | 0.06                              |
| योग . .                  | <u>0.06</u>                       |

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धंसौर, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन चंत्री, अपर तिलवारा बायी टट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रब्रीण सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 9 जनवरी 2020

क्र. 231-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन,

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—चांद
- (ग) नगरग्राम—ग्राम—नौलाझिर, प.ह.नं.-32, ब. नं.-146, रा. नि. मं.-चांद।
- (घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-0.612 प्रस्तावित क्षेत्रफल—हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

#### प्रस्तावित खसरा

##### नम्बर

(1)

69/1, 69/3, 70/2

61/4

200/1

200/2

197/1-2, 198/2, 199/1-2

72/1

82, 83

योग . .

#### प्रस्तावित रकबा

##### (हेक्टेयर में)

(2)

0.088

0.165

0.026

0.028

0.159

0.099

0.047

योग. . 0.612 हेक्टेयर एवं

प्रस्तावित  
क्षेत्रफल पर  
आने वाली  
संपत्तियां।

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ऐंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायी तट मुख्य नहर की टेल वितरक निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक-1 चौरई, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 232-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- |     |   |
|-----|---|
| (क) | जिला—छिन्दवाड़ा   |
| (ख) | तहसील—चांद  |
| (ग) | नगर/ग्राम—ग्राम-मुडियाखेड़ा, प.ह.नं.-90/32, ब. नं.-230, रा. नि. मं.-चांद.   |
| (घ) | अर्जित किये जाने वाला                   कुल रकबा-0.601<br>प्रस्तावित क्षेत्रफल—                   हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां. |

| प्रस्तावित खसरा<br>नम्बर | प्रस्तावित रकबा<br>(हेक्टर में)   |
|--------------------------|---|
| (1)<br>39/2, 86/4        | (2)<br>0.121  |
| 85/10, 86/6, 87/8        | 0.184   |
| 69/3                     | 0.202   |
| 67/1-2, 68/1-2, 69/1-2   | 0.037   |
| 180/4                    | 0.020   |
| 180/10                   | 0.034   |
| 91/7, 185/9              | 0.003   |
| योग. .                   | 0.601 हेक्टर एवं<br>प्रस्तावित<br>क्षेत्रफल पर<br>आने वाली<br>संपत्तियां. |

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायी तट मुख्य

- नहर की टेल वितरक नहर एवं 14 एल माइनर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक-1 चौरई, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 233-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

- ### अनुसूची
- (1) भूमि का वर्णन—
- |     |   |
|-----|---|
| (क) | जिला—छिन्दवाड़ा   |
| (ख) | तहसील—चांद  |
| (ग) | नगर/ग्राम—ग्राम-हिवराजैसिंग, प.ह.नं.-41, ब. नं.-324, रा. नि. मं.-चांद.  |
| (घ) | अर्जित किये जाने वाला                   कुल रकबा-0.072<br>प्रस्तावित क्षेत्रफल—                   हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां. |

| प्रस्तावित खसरा<br>नम्बर | प्रस्तावित रकबा<br>(हेक्टर में)   |
|--------------------------|---|
| (1)<br>2/1-2, 3/1-2      | (2)<br>0.072  |
| योग. .                   | 0.072 हेक्टर एवं<br>प्रस्तावित<br>क्षेत्रफल पर<br>आने वाली<br>संपत्तियां. |

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायी तट मुख्य नहर की टेल वितरक माईनर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक-1 चौरई, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 234-भू-अर्जन-2020.—चंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—  
 (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
 (ख) तहसील—चांद

- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-बम्हनीतुरा, प.ह.नं.-48,  
 ब. नं.-112, रा. नि. मं.-चांद।  
 (घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-01.341  
 प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित  
 क्षेत्रफल पर आने  
 वाली संपत्तियां।

| प्रस्तावित खसरा<br>नम्बर | प्रस्तावित रकबा<br>(हेक्टेयर में) |
|--------------------------|-----------------------------------|
| (1)                      | (2)                               |
| 52/3                     | 0.030                             |
| 52/2, 52/7-8             | 0.020                             |
| 127/2, 154/2-3           | 0.012                             |
| 61/7                     | 0.323                             |
| 61/5, 61/10              | 0.160                             |
| 152/5                    | 0.066                             |
| 152/12                   | 0.060                             |
| 151/3                    | 0.036                             |
| 151/6                    | 0.040                             |
| 151/14                   | 0.074                             |
| 66/13                    | 0.102                             |
| 66/5                     | 0.046                             |
| 66/2                     | 0.088                             |
| 65, 66/9                 | 0.148                             |
| 66/10                    | 0.136                             |

योग. 01.341 हेक्टेयर एवं  
 प्रस्तावित  
 क्षेत्रफल पर  
 आने वाली  
 संपत्तियां।

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर एवं 13 एल माईनर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक-1 चौरई, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

छिन्दवाड़ा, दिनांक 14 जनवरी 2020

क्र. 322-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—चांद
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम—नीलकंठीकलां, प.ह.नं.-32/26, ब. नं.-151, रा. नि. मं.-चांद.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकमा-01.255 प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

#### प्रस्तावित खसरा

नम्बर

|                       | प्रस्तावित रकमा<br>(हेक्टेयर में) |
|-----------------------|-----------------------------------|
| (1)                   | (2)                               |
| 319/12                | 0.098                             |
| 402, 403, 404, 405,   | 0.028                             |
| 406, 407              |                                   |
| 311, 312/1            | 0.110                             |
| 358/7                 | 0.009                             |
| 358/8                 | 0.035                             |
| 214/2                 | 0.072                             |
| 319/4, 319/10, 319/11 | 0.316                             |
| 120/6, 121/15         | 0.336                             |

| (1)           | (2)   |
|---------------|-------|
| 120/3, 121/10 | 0.166 |
| 20            | 0.075 |
| 393/1, 394    | 0.010 |

योग . 01.255 हेक्टेयर एवं  
प्रस्तावित  
क्षेत्रफल पर  
आने वाली  
संपत्तियां।

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दांयी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक-1 चौरई, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 323-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के

लिये आवश्यकता हैः—

### अनुसूची

**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—चांद
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-परसगांवसर, प.ह.नं.-32,  
ब. नं.-268, रा. नि. मं.-चांद.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला                           कुल रकबा-0.812  
प्रस्तावित क्षेत्रफल—   हेक्टर एवं प्रस्तावित  
   क्षेत्रफल पर आने  
   वाली संपत्तियां.

**प्रस्तावित खसरा**

**नम्बर**

- (1) 21/2
- 21/1
- 21/3
- 44/1
- 15/11, 17/8, 20/7
- 44/3
- 15/13, 17/10, 20/9
- 49/1
- 102/6
- 48/4-5
- 63/2
- 47/19, 47/20
- 47/17, 47/18
- 41, 42, 43/2
- 93/13
- 215/11, 216/16
- 68/7
- 102/1
- 15/12, 17/9, 20/7
- 15/3, 17/2, 20/3
- 15/7, 17/4
- 217/5
- 294/3
- 215/1, 216/1
- 86/1

**प्रस्तावित रकबा  
(हेक्टर में)**

- (2) 0.017
- 0.016
- 0.016
- 0.026
- 0.015
- 0.030
- 0.021
- 0.032
- 0.012
- 0.003
- 0.048
- 0.018
- 0.018
- 0.032
- 0.127
- 0.020
- 0.029
- 0.037
- 0.031
- 0.031
- 0.018
- 0.050
- 0.064
- 0.048
- 0.053

योग. 0.812 हेक्टर एवं  
प्रस्तावित  
क्षेत्रफल पर  
आने वाली  
संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायीं तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर एवं 11 एल मार्झनर तथा 12 एल मार्झनर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक-1 चौरई, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायीं तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 334-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—

### अनुसूची

**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—चांद

- (ग) नगर/ग्राम—गुमगांव, दावाड़िया, प.ह.नं.-31,  
ब. नं.-64, रा. नि. मं.-चांद.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-0.791  
प्रस्तावित क्षेत्रफल हेक्टर एवं प्रस्तावित  
क्षेत्रफल पर आने  
वाली संपत्तियां.

| प्रस्तावित खसरा<br>नम्बर | प्रस्तावित रकबा<br>(हेक्टर में)   |
|--------------------------|---|
| (1) 241/1                | (2) 0.116   |
| 310, 350/2, 351/1,       | 0.245   |
| 352, 353/1               |   |
| 222/2                    | 0.059   |
| 364/1                    | 0.147   |
| 237/1                    | 0.144   |
| 351/3                    | 0.010   |
| 420/3                    | 0.070   |
| योग.                     | 0.791 हेक्टर एवं<br>प्रस्तावित<br>क्षेत्रफल पर<br>आने वाली<br>संपत्तियां. |

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक-1 चौरई, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय

अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

छिन्दवाड़ा, दिनांक 15 जनवरी 2020

क्र. 353-भू-अर्जन-2020.—चौंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
(ख) तहसील—चांद  
(ग) नगर/ग्राम—निशान जानूजी, प.ह.नं.-49,  
ब. नं.-150, रा. नि. मं.-चांद.  
(घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-0.459  
प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टर एवं प्रस्तावित  
क्षेत्रफल पर आने  
वाली संपत्तियां.

#### प्रस्तावित खसरा

#### प्रस्तावित रकबा

| नम्बर                | (हेक्टर में) |
|----------------------|--------------|
| (1)                  | (2)          |
| 48                   | 0.055        |
| 8/10, 8/11           | 0.128        |
| 35/1, 41, 24/1, 43/1 | 0.147        |
| 28/2                 | 0.081        |
| 45/1                 | 0.048        |

योग. 0.459 हेक्टर एवं  
प्रस्तावित  
क्षेत्रफल पर  
आने वाली  
संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दायी तट मुख्य नहर की टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक-1 चौरई, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

**क्र. 354-भू-अर्जन-2020.**—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—  
 (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
 (ख) तहसील—चांद  
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-खैरीगांव, प.ह.न.-36,  
     ब. नं.-56, रा. नि. मं.-चांद.  
 (घ) अर्जित किये जाने वाला                   कुल रकमा-0.058  
    हेक्टेयर एवं प्रस्तावित  
    क्षेत्रफल पर आने  
    वाली संपत्तियां।

| प्रस्तावित खसरा | प्रस्तावित रकमा                                       |
|-----------------|---|
| नम्बर           | (हेक्टेयर में)  |
| (1)             | (2)   |
| 57/4, 58/2      | 0.058   |
| योग.            | 0.058 हेक्टेयर एवं                                    |
|                 | प्रस्तावित<br>क्षेत्रफल पर<br>आने वाली<br>संपत्तियां। |

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दायी तट मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक-1 चौरई, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक-1 चौरई, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

**क्र. 355-भू-अर्जन-2020.**—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—  
 (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
 (ख) तहसील—चांद  
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-बांकानागनपुर, प.ह.न.-22,  
     ब. नं.-195, रा. नि. मं.-चांद.  
 (घ) अर्जित किये जाने वाला                   कुल रकमा-0.165  
    हेक्टेयर एवं प्रस्तावित  
    क्षेत्रफल पर आने  
    वाली संपत्तियां।

| प्रस्तावित खसरा  | प्रस्तावित रकमा |
|------------------|-----------------|
| नम्बर            | (हेक्टेयर में)  |
| (1)              | (2)             |
| 759              | 0.035           |
| 137/5/1, 199/2/1 | 0.032           |
| 46/7             | 0.038           |

| (1)    | (2)  |
|--------|--|
| 490/14 | 0.008  |
| 768/3  | 0.016  |
| 536/11 | 0.028  |
| 490/20 | 0.008  |
| योग.   | <u>0.165</u> हेक्टर एवं<br>प्रस्तावित<br>क्षेत्रफल पर<br>आने वाली<br>संपत्तियां. |

लिये आवश्यकता हैः—

अनुसूची

|   |   |
|---|---|
| (1) भूमि का वर्णन—  |   |
| (क) जिला—छिन्दवाड़ा   |   |
| (ख) तहसील—चांद  |   |
| (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-तितरी, प.ह.नं.-35,<br>ब. नं.-119, रा. नि. मं.-चांद. |   |
| (घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकमा-03.525<br>प्रस्तावित क्षेत्रफल—      | हेक्टर एवं प्रस्तावित<br>क्षेत्रफल पर आने<br>वाली संपत्तियां. |

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायी तट मुख्य नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्याकित अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक-1 चौरई, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 356-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के

| प्रस्तावित खसरा<br>नम्बर | प्रस्तावित रकमा<br>(हेक्टर में) |
|--------------------------|---------------------------------|
| (1)                      | (2)                             |
| 55/8, 66/11              | 0.270                           |
| 50/14                    | 0.180                           |
| 55/5, 62/6               | 0.180                           |
| 50/12                    | 0.208                           |
| 55/9, 62/12              | 0.140                           |
| 102/4                    | 0.054                           |
| 50/15, 63/4              | 0.120                           |
| 45/2                     | 0.120                           |
| 45/1                     | 0.090                           |
| 38/3/7                   | 0.126                           |
| 26, 34/1, 38/4           | 0.324                           |
| 31/3, 64/8, 64/9,        |                                 |
| 64/14, 64/17, 64/28,     |                                 |
| 65/2                     | 0.065                           |
| 64/12, 64/15, 65/3, 66   | 0.090                           |
| 113, 115/1               | 0.090                           |
| 125/3                    | 0.180                           |
| 124/3, 128/1             | 0.140                           |
| 126/7                    | 0.150                           |
| 102/5, 102/3             | 0.080                           |
| 131/2, 133/1             | 0.214                           |
| 134/6                    | 0.300                           |
| 135/2                    | 0.380                           |
| 55/6, 62/7               | 0.024                           |

योग. . 03.525 हेक्टर एवं  
प्रस्तावित  
क्षेत्रफल पर  
आने वाली  
संपत्तियां।

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायी तट मुख्य नहर की अंतर्गत टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली माइनर/सबमाइनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक-1 चौरई, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुबिभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दायी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव।

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 8 जनवरी 2020

क्र. A-25-2-दो-16-2010.—श्री रामकुमार चौबे, डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 13 से 28 दिसम्बर 2019 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे, डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-27-दो-2-17-2015.—श्री बी. आर. पाटिल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को दिनांक 6 से 14 अक्टूबर 2019 तक के सार्वजनिक/अर्जित अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्र. 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब (ए) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. A-29-दो-2-46-2019.—श्री जयंत शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जयंत शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जयंत शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-56-दो-2-70-2015.—श्री मुकेश द्विवेदी, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 28 से 31 दिसम्बर 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् दिनांक 1 से 3 जनवरी 2020 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश द्विवेदी, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुकेश द्विवेदी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ज्वाइंट रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-60-दो-2-59-2006.—श्री ऋषभ कुमार सिंघई, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), जबलपुर को दिनांक 30 से 31 दिसम्बर 2019 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 दिसम्बर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 से 3 जनवरी 2020 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है।

अवकाश से लौटने पर श्री ऋषभ कुमार सिंघई, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ऋषभ कुमार सिंघई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-62-दो-2-62-2013.—श्री ओंकार नाथ, मेंबर सेक्रेटरी (एस.सी.एम.एस.) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 21 से 25 सितम्बर 2019 तक के आकस्मिक/सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी.सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2017 से 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्र.-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (ए) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 9 जनवरी 2020

क्र. B-152-दो-2-49-2019.—श्री महेश कुमार चौरसिया, डिप्टी रजिस्ट्रार (M)(J-II) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 7 से 13 दिसम्बर 2019 तक सात दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 7 से 10 दिसम्बर 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू.एस.दुबे, रजिस्ट्रार,